उमा प्रचार

वर्ष 10 अंक 44

जनवरी से मार्च 2009

फिर रचेंगी सृष्टि का इतिहास ये आँखें

विभाष कुमार झा

तिहत्तरवें संविधान संशोधन को लागू हुए पंद्रह वर्ष हो चुके हैं। संविधान में संशोधन करके महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिया गया। पुरुष प्रधान समाज को महिलाओं की यह नई भूमिका रास नहीं आई और उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर उन्हें अपने ही परिवार के पुरुषों द्वारा प्रॉक्सी की भूमिका निभाने को बाध्य होना पड़ा, उन पर अक्सर पति का पिछलग्गू ,रबर स्टैंप का आरोप लगाया जाता रहा है। इन तमाम आरोप–प्रत्यारोपों के बावजूद महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और अपने कामों से इन आरोपों को गलत साबित किया है।

प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ में महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, महिला जागरूकता आदि क्षेत्र में किये गये सफल प्रयास। विभाष कुमार झा द्वारा लिखे गये इस आलेख को वर्ष 2008 के सरोजनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उत्तराखंड में पंचायतें हारीं और राजनैतिक दल जीते

शमशेर सिंह बिष्ट

उत्तराखंड राज्य बने आठ वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक पंचायत एक्ट नहीं बना है। पिछले दिनों उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दलगत राजनीति का बोलबाला रहा।

पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है।

पंचायत समाचार

उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव और महिला आरक्षण की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं– शमशेर सिंह बिष्ट।

बुनियादी शिक्षा विभाग में भवन निर्माण के नाम पर किस तरह घोटाला हो रहा है इसको उजागर कर रहे हैं – जानकी शरण द्विवेदी ।

केवल निजी वितरण के लिए

फिर रचेंगी सृष्टि का इतिहास ये आँखें

विभाष कुमार झा

छत्तीसगढ़ की महिला पंचायत सदस्यों के कामकाज को देखने से ऐसी अनेक उपलब्धियाँ सामने आईं, जिनकी कल्पना शहर में रहते हुए कर पाना मुश्किल है।

छत्तीसगढ़ में राजनादगाँव, कवर्धा, रायगढ़ और जाँजगीर जिले महिला पंचायत पदाधिकारियों के प्रभुत्त्व वाले प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। रायगढ़ में जिला पंचायत की अध्यक्ष तुलसीदेवी रात्रे हैं। इनके अलावा सदस्य के रूप में नंदिनी रजवाड़े और गीतांजलि पटेल काफी सक्रिय हैं।

रायगढ़ खासतौर पर हथकरघा और कोसे के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। महिला पंचायत सदस्यों में से अधिकांश बुनकर समितियों में भी शामिल हैं, इसीलिए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का वे पूरा–पूरा लाभ लेने में सफल रही हैं। रायगढ़ के तमनार जनपद क्षेत्र में समिति ने शहद प्रसंस्करण का काम सफलतापूर्व संचालित किया है। महिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता से यहाँ परसदा से लेकर चेचरापाली गाँव के बीच करीब बारह किलोमीटर के चट्टानी और पहाड़ी इलाके में ग्रामीणों ने बरगद, नीम, पीपल और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ों का सघन वृक्षारोपण किया है। आज इन पेड़ों की संख्या नब्बे हजार से भी ज्यादा हो चुकी है। इन पेड़ों से वनोपज इकट्ठा करने के साथ–साथ गाँव की महिलाएँ घरेलू उद्योगों में भी हाथ बँटा रही हैं। पंचायत संस्थायें इन्हें अनुदान भी देती हैं।

तुलसीदेवी इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी स्वस्फूर्त है। वे बताती हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण महिलाएँ सफलतापूर्वक चला रही हैं। मछली पालन, तालाब गहरीकरण और वृक्षारोपण में भी महिलाएँ आगे हैं। पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं की सक्रियता देखते ही बनती है। बस्तर क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या और जागरूकता एक सुखद आश्चर्य का विषय है जैसे पुरुष मतदाताओं की तुलना में कोंडागाँवों में 2,816, भानपुरी में 2,301, जगदलपुर में 3,523, केसलूर में 4,033 और चित्रकोट में 4,722 महिला मतदाता ज्यादा हैं। श्रीमती रात्रे का कहना था कि रायगढ़ में संख्या के आधार पर भले ही महिला मतदाताओं की अधिकता नहीं होगी, लेकिन महिलाएँ पिछले तीन–चार वर्षों में जिस तेजी से अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं, उससे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती है।

सेहत की चिंता

श्रीमती रात्रे का कहना है कि जिले में महिला पंचायत पदाधिकारियों की सक्रियता से ही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का बेहतर प्रचार–प्रसार हो रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के दौरान परिवार कल्याण, टीकाकरण, जननी सुरक्षा, मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन सहित अनेक कार्यक्रमों को गाँव–गाँव तक पहुँचाने के लिए स्थानीय कलाकारों की टोलियाँ बनाई गईं। ये टोलियाँ नाचा, गज्मत, ददरिया और दोहा–चौपाई के संगीतमय गायन से ग्रामीणों को बीमारियों की जानकारी देती हैं। वे बताती हैं कि हर वर्ष बरसात से पहले सुदूर गाँवों में मितानिनों को चार महीने की दवाइयों का स्टॉक दे दिया जाता है।

जाँजगीर जिले में महिला शक्ति का विस्तार

रायगढ़ की तरह जाँजगीर जिले में महिला शक्ति का विस्तार पंचायत संस्थाओं के जरिए तेजी से हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला बाई पटेल स्वयं एक लोकप्रिय व्यक्तित्त्व की स्वामिनी हैं। इसीलिए उन्हें जनता की माँग और समस्याओं की जानकारी दिन भर की मुलाकात में ही बड़ी आसानी से मिल जाती है। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा के दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए श्रीमती पटेल ने

करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत कराई। इतना ही नहीं, उनके कार्यक्रम में अब तक जिले के सुदूर गाँवों में पुल, पुलिया, सड़क और स्कूल भवन का निर्माण भी लगातार हुआ है। वे बताती हैं कि वर्षा ऋतु के लिए उन्होंने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से लगातार आग्रह करके पहले ही अनाज, केरोसिन और जीवन रक्षक दवाओं का भरपूर स्टॉक उपलब्ध करा दिया है। सभी सुदूर गाँवों के लोगों को अब चार महीने तक इन चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत तीन रुपए किलो चावल बाँटने के मामले में भी अपने जिले की उपलब्धि का खासतौर पर उल्लेख किया। श्रीमती पटेल बताती हैं कि जिले में दो लाख 14 हजार 470 गरीब परिवारों को चावल उपलब्ध कराने के लिए 618 उचित मूल्य की दुकानें शुरू की गई हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश दुकानों के संचालन में ग्रामीण महिलाएँ भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। दुकान चलाने के लिए इन महिलाओं में शिक्षा और पढ़ाई–लिखाई के प्रति जागरूकता अपने–आप बढ़ने लगी है। श्रीमती पटेल का मानना है कि जिले में बरसात के मौसम के लिए विभिन्न गाँवों में जो ग्रामीण अनाज बैंक बनाए गए हैं, उनके प्रति भी महिलाओं की जागरूकता काफी बढ़ गई है। जिले में नौ अनाज बैंक जनपद पंचायत के अधीन रखे गए हैं। इसी तरह, चार अनाज बैंक विशेष योजना के अंतर्गत आने वाले मँझोले और दूरस्थ गाँवों में स्थापित किए गए हैं। इसी तरह, सभी ग्राम पंचायतों में हर समय पर्याप्त चावल रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में या वर्षा–बाढ़ की स्थिति के कारण किसी भी ग्रामीण को भुखमरी का शिकार न होना पड़े। जिला पंचायत अध्यक्ष की इस संवेदनशील पहल की पूरे ग्रामीण इलाके में काफी सराहना हुई है।

श्रीमती पटेल बड़े गर्व से बताती हैं कि पिछले दो वर्षों में ही उन्होंने जिले के ग्रामीण इलाके में करीब 100 करोड़ रुपए के पुल, सड़क, स्कूल भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी पाई। इनमें से अधिकांश निर्माण कार्य पूरे भी हो चुके हैं। केरां–बिर्रा–सिलाडीह मार्ग पर हसदेव नदी के कारण तीन महीने न तो ग्रामीणें को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाती थी और न ही इन गाँवों के बच्चे पामगढ़ तक स्कूल जा पाते थे। इसी वर्ष यहाँ पुल बन जाने से ये दोनों समस्याएँ दूर हो गई हैं। इसी तरह पामगढ़, ससहा और नवाघाट गाँवों के लिए भी नया पुल बन गया है। बिर्रा–भटगाँव के बीच महानदी पर, वनसुला–चारेभट्ठा के बीच सोन नदी पर, शिवरी नारायण–मुड़पार मार्ग पर और चंडीपारा–उरेहा–सेमरिया गाँव के बीच कोकड़ी नाले पर भी पुल निर्माण चल रहा है। जिले में पिछले छह महीनों के दौरान चंपाउमरेली जर्वे, मड़वापानी, पटियापाली जोड़ने वाले पुल–पुलिया का निर्माण पाँच करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। श्रीमती पटेल को विश्वास है कि इन पुलों के बन जाने से छोटे–छोटे गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में काफी तरक्की होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष कहती हैं कि जाँजगीर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी काफी काम हुए हैं। योजना में अब तक 561 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत कुल 432 छोटी बसाहटों को भी बारहमासी सड़क से जोड़ने में सफलता मिली है। उनका मानना है कि जाँजगीर एक पिछड़ा और पलायन से ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण यहाँ सबसे पहली आवश्यकता सड़कों और पुलों की ही थी। इनके बन जाने से शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ रोजगार और कृषि के काम भी अपने आप होने लगे हैं।

बेहतर प्राथमिक शिक्षा

जिले में जयजयपुर और बहनीडीह जनपद पंचायत क्षेत्रों में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक संदर्भन इकाई के रूप में चुना गया है। पहले यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी थी। धीरे–धीरे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और उपकरणों की व्यवस्था होने से ग्रामीणों को अब काफी लाभ होने लगा है। इन संसाधनयुक्त स्वास्थ्य केंद्रों के बन जाने से जाँजगीर के

दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में प्रसूति सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। यहाँ जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी प्रगति हुई है। पूरे प्रदेश की चर्चा करें तो अब तक राज्य में 60,591 मितानिनों का चयन किया गया है। इनमें से 34,307 मितानिनें पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुकी हैं। इन मितानिनों में लगभग दस प्रतिशत महिलाएँ अपनी ग्राम पंचायतों की सदस्य भी हैं। ये मितानिनें बहनें प्रसूति सेवा के अलावा टीकाकरण, महामारी नियंत्रण, पोषण आहार योजना और सामान्य बीमारियों का इलाज करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। प्रशिक्षित मितानिनों को दवा पेटी दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में राजनांदगाँव और कवर्धा जिले भी सफल क्षेत्र माने जा सकते हैं। यहाँ भी महिला पंचायत सदस्यों ने अपनी लगन और स्वप्रेरणा से ग्रामीण महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाया है।

राजनांदगाँव की जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रमिला मंडावी ने स्वयं आदिवासी होते हुए भी जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा किया और गाँववासियों से संपर्क बनाया। आश्चर्य की बात है कि अपनी पढ़ाई भी किसी तरह पूरी करने वाली श्रीमती मंडावी आज पूरे जिले की समस्याओं का हिसाब स्वयं रखती हैं। वे बताती हैं कि चाहे वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हमने जिला पंचायत की सदस्य बहनों के साथ मिलकर हर योजना में शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। वे कहती हैं कि गाँव की महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने भी इन योजनाओं को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। खासतौर, पर बिरझर गाँव की सरपंच झिरिया बाई ने अपने पड़ौसी गाँवों तक अपनी लगनशीलता की छाप छोड़ी है। इसी गाँव से लगा हुआ एक छोटा–सा गाँव सुकुलदेहान भी है। यहाँ की साधारण–सी महिला फुलसन बाई महिला पंचायत सदस्यों के सहयोग से आज पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। स्वयं साइकिल चलाना सीखकर फुलसन बाई ने अन्य महिलाओं को स्व–रोजगार से जोड़ा। उनकी उल्लेखनीय सफलता के लिए केंद्र सरकार ने फुलसन बाई को तीन वर्ष पहले राष्ट्रीय स्त्री पुरस्कार के रूप में दो लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्हें पिछले वर्ष राज्य सरकार का महिला स्वावलंबन और जाग्रति सम्मान भी मिल चुका है।

आदिवासी महिलाओं की सजगता

राजनांदगाँव का पड़ौसी जिला कवर्धा भी महिला पंचायत पदाधिकारियों की सफलता से गौरवान्वित है। यहाँ ज्यादातर ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों में आदिवासी और कम पढ़ी–लिखी महिलाएँ ही काम कर रही हैं। इसके बावजूद इनकी नेतृत्त्व क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता।

वीरेंद्र नगर की पूर्व पंचायत सदस्य श्रीमती रीता ठाकुर मितानिनों की डिपो होल्डर रह चुकी हैं। वे बताती हैं कि यहाँ महिला सदस्यों की सक्रियता में पंडरिया, सहसपुर, लोहारा और वीरेंद्र नगर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कवर्धा जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी बताती हैं कि जिले में बोड़ला और सहसपुर लोहारा जनपदों को पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा माना जाता था। लेकिन फर्स्ट रेफरल यूनिट योजना से यहाँ बेहतर संसाधन मिलने के बाद मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। अब मितानिनें भी सुरक्षित प्रसव की दिशा में गंभीरता से काम कर रही हैं। इस सुधार में सहसपुर जनपद की अध्यक्ष कुसुमलता ठाकुर, सदस्य दुखिया बाई साहू, मिठला साहू और प्रमिला वर्मा का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। इसी तरह कवर्धा जनपद सदस्य अनिता मिश्रा और ताराबाई मरकाम को भी इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इन दोनों ने गाँव में प्राथमिक शिक्षा के लिए ज्ञान ज्योति स्कूल योजना को लागू करने में निरंतर प्रयास किए।

वीरेंद्र नगर जनपद क्षेत्र में आज पक्की सड़कें, स्कूल भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सफलता की कहानी खुद

कहते हैं। वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत की सरपंच विमला गंधर्व और सहसपुर ग्राम पंचायत की सरपंच साहू की प्रेरणा से पंच और मितानिन नागेश्वरी साहू तथा कुंजाबाई साहू ने आसपास के अनेक गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है। उनके साथ मितानिन सुकलिया ध्रुव भी सक्रिय रूप से काम करती हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य

प्रदेश के दूरस्थ जिलों में जो उपलब्धियाँ मिली हैं, उनकी परछाईं से राजधानी रायपुर के पंचायत क्षेत्र भला कैसे अछूते रह सकते थे। रायपुर जिले के अंतर्गत फिंगेश्वर जनपद क्षेत्र में मितानिन के रूप में महिलाओं ने मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई है। इन मितानिनों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली हिरमी गाँव की मितानिन कीर्ति साहू और संगीता भारद्वाज आज अपनी जिम्मेदारी से बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि पहले गाँव में कोई मितानिन नहीं थी तो गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर दूसरे गाँव जाना पड़ता था। अब बहुत सुविधा है। हम इस काम में शामिल हुए हैं, तो हमें भी संतोष है। कुध्रीद गाँव की मितानिन कुसुम टंडन और कमला वैष्णव भी अपने गाँव की कुछ ज्यादा पढ़ी–लिखी महिलाएँ हैं। इसीलिए इन्हें मितानिन बनाया गया। सकलोर गाँव की सरोज वर्मा भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा से जुड़ कर अपनी पढ़ाई का पूरा सदुपयोग कर रही हैं।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए आठ वर्ष ही हुए हैं। लेकिन यहाँ विकास की रफ्तार काफी तेज है। इसकी वजह है कि यहाँ पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी मिली हुई है। परिणाम यह हुआ कि ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत तक कम पढ़ी–लिखी ग्रामीण महिलाएँ बेहतर प्रशासन की जीवंत मिसाल बन गई हैं। राज्य सरकार ने अगले पंचायत चुनाव में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण की घोषणा की है। इससे छत्तीसगढ़ महिला सशक्तीकरण और जागरूकता में देश के लिए प्रेरणा बन सकता है, यह निश्चित है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

उत्तराखंड में पंचायतें हारीं और राजनैतिक दल जीते

शमशेर सिंह बिष्ट

उत्तराखंडमें पंचायत चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य बने आठ वर्ष होने के बाद भी पंचायत एक्ट नहीं बना। स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव में निशान अनन्नास और खजूर के पेड़ थे जिन्हें पहाड़ की 95 प्रतिशत जनता नहीं जानती। यही महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में हुआ। महिलाओं के सशक्तीकरण की कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं की गई, सिर्फ चुनावी नारे की तरह महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी गई।

उत्तराखंड स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के 13 जनपदों में से हरिद्वार को छोड़कर बाकी में चुनाव कराए। कुल 12 जिला पंचायत अध्यक्षों, 89 प्रमुखों, 7239 ग्राम प्रधानों, 3073 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 371 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव संपन्न हुए। राज्य के कुल 43,44,573 मतदाताओं ने भाग लिया। सन् 1992 में संविधान के 73 वें और 74वें संशोधनों को पारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि राजनैतिक दलों को पंचायतों से दूर रखें, पंचायत के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। लेकिन उत्तराखंड के इस पंचायत चुनाव ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पंचायतों में विकास तो दूर, दलगत राजनीति को प्राथमिकता दी गई जिसके कारण चुनाव में धन और शराब का बोलबाला रहा।

इस पंचायत चुनाव में मुद्दे तो थे ही नहीं, सिर्फ बिरादरी, क्षेत्र, धन और बल प्रमुख था। पंचायत तो सामंजस्य का पर्याय होती है, लेकिन पंचायत चुनाव वैमनस्य, दंगा–फसाद

के गढ़ बने। यहाँ तक कि दलों के भीतर दल बन गए।

हमारे देश में सन् 1994 में पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन कर महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण से पहले निर्वाचित महिलाओं की संख्या 45 प्रतिशत थी जो आरक्षण के बाद पच्चीस से पैंतीस प्रतिशत तक पहुँच गई है। इस समय देश भर में निर्वाचित 26 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग नौ लाख पचहत्तर हजार महिला प्रतिनिधि हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या बाकी विश्व में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अधिक है। उत्तराखंड पंचायत चुनावों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद लगभग 29 हजार महिलाएँ पंचायतों से चुनी गईं। उत्तराखंड के कई जनपदों में महिलाओं की आबादी पुरुषों से अधिक है। इसीलिए कई मतदाता केंद्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। इसीलिए अल्मोड़ा जनपद में 55 प्रतिशत महिलाएँ ग्राम प्रधान बनी हैं। कुछ सामान्य सीटों से भी महिलाएँ चुनकर आई हैं।

हमारे प्रदेश में महिलाओं ने चिपको से लेकर स्वतंत्र राज्य आंदोलन तक तमाम आंदोलनों में भागीदारी की है और यह अच्छी शुरुआत है कि पंचायतों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उनके आने से खाने–पीने पर रोक लग सकेगी और पंचायतें बेहतर काम कर सकेंगी। लोकवाहिनी ने पंचायत चुनाव के समय में पूरे उत्तराखंड में एक अपील मतदाताओं से की थी, जिसमें कहा गया कि उन व्यक्तियों को वोट नहीं दें, जो रहते तो शहर में है और सिर्फ चुनाव के समय गाँव आ जाते हैं। यदि आपका प्रतिनिधि साल में दस महीने आपके साथ नहीं रहता तो उसे आपका प्रतिनिधि होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महिला आरक्षित पद महिलाओं के लिए हैं, न कि नेता पत्नियों, पुत्रियों या बहनों के लिए। महिला आरक्षित पदों के लिए सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें, जो भले ही गरीब हों– हमेशा अपने समाज के सुख–दुख के सहभागी हों।

उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना स्वागत योग्य है, लेकिन यह कितना व्यावहारिक होगा, कहना कठिन है। इन साठ वर्षों में महिलाओं की आजादी और अभिव्यक्ति का बहुत रोना रोया गया है, फिर आरक्षण की नियति मूल व्यवस्था बदलने की नहीं, वोट पाने की अधिक रही। जब तक पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त यथास्थितिवादी और अप्रजातांत्रिक साधनों का प्रयोग चलता रहेगा तब तक आम महिलाओं के जीवन में बदलाव की उम्मीद करना बेमानी ही होगा।

उत्तराखंड में 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायत चुनावों में महिलाओं को मिला। सैद्धांतिक रूप से तो यह अच्छी खबर है, परंतु वास्तविक रूप में तो ऐसा नहीं है। पिछले पंचायत चुनाव में एक बार अपने गाँव याल्दे गया था। वहाँ एक जुझारू महिला ब्लॉक प्रमुख होने के बाद भी मैंने एक ऐसा बोर्ड एक जीप में लगा देखा, जिसमें आगे के साइन बोर्ड पर लिखा था– 'पति, सभापति।' जीप पर लगे साइन बोर्ड से स्पष्ट था कि वह किसी महिला सभापति का पति था। विधान सभा चुनाव में जब हम सेराघाट पहुँचे तो हमने पूछा कि सभापति कहाँ है, तो गाँव के लोग ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो सुबह से ही शराब के नशे में था। लोगों ने कहा, 'यही सभापति है।' फिर हमने पूछा कि इनकी पत्नी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि आज उन्होंने शराब के विरुद्ध मंदिर में बैठक बुलाई है, वहाँ गई हैं। हमने पूछा वे क्या हैं, जिन्होंने बैठक बुलाई है ? तब लोगों ने कहा कि हस्ताक्षर करने वाले सभापति तो वही हैं, मतलब वही सभापति हैं। यह हाल पंचायत चुनाव से पहले उत्तराखंड का था।

इस बार तो पंचायत चुनाव के आरंभ में ही महिला आरक्षण की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। लगभग 80 प्रतिशत लोगों ने चुनावों में जो पोस्टर और पर्चे बाँटे उनमें पति–पत्नी की साथ फोटो थी। अल्मोड़ा जिले के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में उत्तराखंड में एक लोकप्रिय समाचार पत्र के संवाददाता ने अपनी बहू को सभापति चुनाव के लिए खड़ा किया। चुनाव

प्रचार में उसने से पर्चे और पोस्टर वितरित किए, उनमें भी सिर्फ अपना ही फोटो छापा। जब बहू जीत गई तो माला भी जेठ के ही गले में पड़ी। अधिकांश महिला उम्मीदवार घरों में ही रहीं। प्रचार भी उनके परिवार के पुरुषों ने किया।

स्थिति तो तब और खराब हुई जब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जम कर खरीद–फरोख्त हुई और यह काम भी महिलाओं की तरफ से पुरुषों ने ही किया। जो निर्दलीय थे वे भी वैभव के प्रभाव से दलीय हो गए। अधिकांशतः उन महानुभावों की पत्नियों को मौका मिला जिनके पति शराब, खनन, भूमि के धंधे में थे। इसीलिए यह निश्चित है कि पंचायत चुनावों से आने वाले समय में ग्राम गणराज्य की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन यह भी सच है कि जो महिलाएँ अपने बलबूते पर पंचायतों में आईं थीं, उन्होंने ठेकेदारी की अपेक्षा जन आंदोलन को महत्त्व दिया।

यह कहना भी सच है कि चुनाव और जन आंदोलन के बीच छत्तीस का संबंध है। इसीलिए जन आंदोलन से जुड़ी महिलाओं को चुनाव में मात खानी पड़ी है। लेकिन हार कर भी महिलाओं का जुझारूपन बरकरार है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि महिला विरोधी मानसिकता वाले पुरुषों का दंभ टूटा है। एनजीओ से जुड़ी महिलाएँ कुछ पंचायतों आईं हैं, लेकिन वे पूरी चेतना से नहीं आ पाईं, क्योंकि एनजीओ भी एक सीमा तक ही जा सकता है, जबकि व्यवस्था बदलने के लिए पूरे समर्पण से समाज के बीच जाना पड़ता है, जो एनजीओ में नहीं दिखाई देता है। महिला आरक्षण किसी हद तक अपना प्रभाव दिखाएगा, ऐसी आशा पंचायतों में करनी चाहिए।

सामयिक वार्ता से साभार

विद्यालय भवन निर्माण में करोड़ों की बंदरबाँट

जानकी शरण द्विवेदी

बुनियादी शिक्षा विभाग में पिछले तीन साल के दौरान भवन निर्माण के नाम पर 45 करोड़ रुपए बंदरबाँट कर निर्माण प्रभारी और ग्राम प्रधान डकार गए। सैकड़ों कक्ष मानक के विपरीत बना दिए गए। दर्जनों मामलों में सहायक बुनियादी शिक्षा अधिकारियों ने घटिया निर्माण होने की शिकायत करते हुए दोषी भवन निर्माण प्रभारियों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस संबंध में जाँच के लिए जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम तो महीनों बीतने के बावजूद मामलों की जाँच तक नहीं कर सकी।

बुनियादी शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर साल एक अरब रुपए से अधिक की धनराशि अकेले गोंडा जनपद को मिलती है। किंतु यहाँ शिक्षा की स्थिति यह है कि छात्र तो दूर, उनको पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र भी प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम नहीं जानते हैं। बीते तीन सालों के दौरान विभाग में विद्यालय भवन और अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए आए, लेकिन इस पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ। शासनादेश के विपरीत एक–एक शिक्षक को आधा–आधा दर्जन भवनों का निर्माण प्रभारी बना दिया गया। इससे वे शिक्षक कम ठेकेदार ज्यादा हो गए। अधिकांश भवन निर्माण प्रभारियों ने ऐसे कार्य संपादित कराए जिसके बारे में आकलन किया गया कि आवंटित धनराशि का एक–तिहाई से ज्यादा धन शायद ही खर्च हुआ है। ग्राम प्रधानों की भी इसमें मिलीभगत रही। शासन ने गुणवत्ता नियंत्रित रखने के लिए संबंधित ग्राम प्रधानों को देख–रेख की जिम्मेदारी सौंपी थी।

विभागीय सूत्र बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में परिषदीय विद्यालयों में 1800 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके साथ ही दो दर्जन प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना था। इस साल प्रति एकल कक्ष निर्माण में गोंडा जनपद में खूब खेल हुआ। किसी विद्यालय में चार–चार एकल बने तो अधिकांश विद्यालय इससे

अछूते रह गए। इसके बाद 2006–07 में जिले को 18 करोड़ रुपए मिले। इस धन से भी एकल कक्षों का ही निर्माण कराया जाना था, लेकिन प्रति एकल कक्ष की राशि बढ़ चुकी थी। इस बार 1 लाख 40 हजार रुपए में भूकंपरोधी एकल कक्षों के साथ किचन शेड का भी निर्माण होना था। भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए निर्माण प्रभारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया और यह निर्देश भी दिया गया कि भूकंपरोधी भवन निर्माण का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त राजगीरों से ही कराया जाएगा।

लेकिन यहाँ इसका अनुपालन नहीं किया गया और भवन निर्माण प्रभारियों ने मनमाने तरीके से निर्माण कार्य कराया। भूकंपरोधी कक्षों की दीवारों में न तो सरिया का जाल बिछाया गया और न ही कंक्रीट की छत डाली गई। इतना ही नहीं, सैकड़ों कक्ष के छत तो पहले से बने पुराने भवनों की एक दीवार को लेकर डाल दी गई। निर्माण में अनियमितता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सहायक निदेशक बुनियादी शिक्षा के कार्यालय परिसर में निर्मित अतिरिक्त कक्ष भी पुरानी दीवार पर बना है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2007–08 में 245 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। प्रति विद्यालय पाँच लाख रुपए दिए गए। इसमें भी यही खेल किया गया।

निर्माण कार्यों में घोटाले की खूब शिकायतें भी होती रहीं, लेकिन भवन निर्माण प्रभारियों, ग्राम प्रधानों और बुनियादी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कार्यवाही नहीं की जा सकी। जाँचोपरांत शिकायत सही पाए जाने पर कई निर्माण प्रभारियों को तो केवल अखबारों में निलंबित किए जाने की खबर छपवाकर मामले को रफा–दफा कर दिया गया। जिलाधिकारी मुक्तेश मोहन मिश्र ने निर्माण कार्यों में व्यापक धाँधली की शिकायत को लेते हुए अभियंताओं की एक टीम गठित कर जाँच कराने का आदेश दिया था, लेकिन घोटालेबाजों की तिकड़म के आगे महीनों बीत जाने के बाद भी जाँच शुरू नहीं हो सकी।

कुछ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भवन निर्माण प्रभारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। धमकी जरूर मिली। इसके बाद उन्होंने भी चुप्पी साध ली। विभाग में अभी हाल ही में सिविल इंजीनियर निर्माण समन्वयक की नियुक्ति हुई है। इसके बाद धीरे–धीरे जाँच शुरू हुई है। सरकारी धन के दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। घटिया निर्माण होना तो अलग बात है, दो वर्ष पहले खाते से पैसे निकाल लेने के बावजूद 20 प्रतिशत निर्माण कार्य आज भी अधूरे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अमर कांत सिंह ने बताया कि जाँच शुरू हो गई है, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। किंतु ऐसे धन का क्या होगा जो निर्माण प्रभारियों ने हजम कर लिया है ? इस प्रकरण में यदि अभियंताओं की एक टीम जाँच कर ले तो करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा।

जनसत्ता से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-24647873, 24653780

उमा प्रचार

वर्ष 12 अंक 45

अप्रैल से जून 2009

हम हैं हिवरे बाजार के

प्रशांत दुबे

शांत किंतु सफल शुरुआत

ललित माथुर

एक अक्षय–ई केंद्र के लिए कुछ आंसू

रीमा नरेंद्रन

पता नहीं हिवरे गांव के नाम में बाजार शब्द कैसे जुड़ गया। लेकिन आज जब देश का एक बड़ा भाग – सरकार, शहर, गांव, संस्थाएं भी बाजार जैसी होती जा रही हैं, तब यह गांव अपने काम से, जीवन से बाजार हटाता जा रहा है –वह भी उस नई पीढ़ी के प्रयास से, जो इस बाजार पर ही टिकी है। इस गांव के बारे में बता रहे हैं – प्रशांत दुबे।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बहुत ही शांत तरीके से सूचना के अधिकार नियम का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की है। इस काम में सरकार का पूरा सहयोग है। इस अंक में प्रस्तुत है – सामाजिक अंकेक्षण के पहले चरण की सफलता के किस्से। प्रस्तुतकर्ता हैं – ललित माथुर।

अक्षय यानी जिसका क्षय न हो। ई साक्षरता केरल राज्य की बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना थी। पंचायतों के माध्यम से कम्प्यूटर सिखाने के लिए अक्षय केंद्र खोले गये थे। राज्य और जिले की राजनीति में बहुत जल्दी ही इन अक्षय केंद्रों का तो क्षय हुआ ही। इन्हें चलाने वाले भी इससे बच नहीं पाए हैं। तिरुवनंतपुरम के पहले अक्षय–ई केंद्र के ठेकेदार सोमसुंदरम आज आर्थिक क्षय का सामना कर रहे हैं।

रीमा नरेंद्रन के लेख से आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

केवल निजी वितरण के लिए

हम हैं हिवरे बाजार के

प्रशांत दुबे

एक गांव जहां के लोग गांव का नाम अपने उपनाम के रूप में लगाते हैं। एक गांव जहां व्यापक मंदी के इस दौर का कोई असर दिखाई नहीं देता है। एक गांव जहां से अब कोई पलायन नहीं करता है। एक गांव जहां कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। एक गांव जहां के शिक्षक स्कूल से गायब नहीं होते। एक गांव जहां की आंगनबाड़ी रोज खुलती है। एक गांव जिसके बच्चे कुपोषित नहीं हैं। एक गांव जहां राशन व्यवस्था ग्राम सभा के अनुसार संचालित होती है। एक गांव जिसकी सड़कों पर गंदगी नहीं होती। एक गांव जिसे जल संरक्षण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक गांव जिसका हर घर गुलाबी रंग से पुता है। एक गांव जहां गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए भी मस्जिद है।

यह उस गांव का वर्णन है जहां सत्ता दिल्ली, मुंबई में बैठी किसी सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उसी गांव के लोगों द्वारा संचालित होती है। यह सपना–सा ही लगता है, लेकिन यह सपना साकार हो गया है महाराष्ट्र अहमदनगर जिले के गांव हिवरे बाजार में।

गांधीजी ने कहा था कि 'सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए बीस आदमी नहीं चला सकते। वह तो नीचे से हरेक गांव में लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र इस समय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों में हैं। मैं उसे भारत के सात लाख गांवों में बांटना चाहूंगा।' गांधीजी का यह संदेश हमेशा एक आदर्श वाक्य की तरह लगता रहा है। इस आदर्श वाक्य को हिवरे बाजार ने अपने घरों, खेतों, गांवों में साकार कर दिया है।

बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। सन् 1989 में हिवरे बाजार के कुछ पढ़े–लिखे नौजवानों ने यह बीड़ा उठाया कि क्यों न अपने गांव को संवारा जाये। गांव वालों से बातचीत की गई तो गांव वालों ने 'कल के छोकरे' कह कर एक सिरे से नकार दिया। युवकों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गांव वालों ने भी युवकों की चुनौती को गंभीरता से लिया और 9 अगस्त को नवयुवकों को एक वर्ष के लिए सत्ता सौंप दी। सत्ता मिली तो नवयुवकों ने सत्ता सौंपी पोपटराव पवार को। पोपटराव उस समय महाराष्ट्र की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेलते थे।

युवकों ने इस एक वर्ष को एक अवसर के रूप में देखा। गांव में सभा बुलाई। सब लोग आयें – इस बात की कोशिश की गई। सबकी राय से तय हुआ कि क्या–क्या काम तुरंत करना चाहिए। बिजली, पानी के बीच बात शिक्षा की भी आई। सामूहिक सहमति बनी शिक्षा के सवाल पर। इस समय स्कूल में शिक्षक बच्चों से शराब मंगाकर कक्षा में ही पीते थे। स्कूल में न तो खेल का मैदान था और न बैठने के लिए बैंचें थीं। ग्राम सभा में सबसे पहले युवकों ने गांव वालों से अपील की कि अपनी बंजर पड़ी जमीन को स्कूल के लिए दान दें। शुरू में तो दो परिवार तैयार हुए बाद में कई। वहां एक कमरा बनाने के लिए 60,000 रुपए की राशि तुरंत दान में आई। उचित नियोजन और गांव वालों के श्रमदान की बदौलत एक कमरे की राशि में दो कमरों का निर्माण किया गया। यह युवकों का गांव वालों को विश्वास देने वाला एक काम बन गया था। एक वर्ष खत्म हुआ, समीक्षा हुई। गांव वालों ने अब इन नवयुवकों को पांच वर्षों के लिए सत्ता सौंपने का निश्चय किया।

पोपटराव के कुशल नेतृत्त्व में युवकों ने गांव की कुछ मोटी–मोटी बातें समझना शुरू किया। गांव में औसतन प्रति व्यक्ति सालाना आय 800 रुपए थी। गांव के हर परिवार से लोग कुछ कमाने के लिए शहर पलायन करते थे। गांव में रह जाते थे केवल बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। कुछ लोगों के पास जमीन थी, पर वे केवल एक फसल ले पाते थे। सिंचाई के लिए पानी तो था ही नहीं। यहां कुल मिलाकर 400 मि.मी. वर्षा होती थी। पोपटराव कहते हैं कि हमने सामूहिक रूप से इस विषय पर सोचना शुरू किया। पहले गांव वाले वन विभाग द्वारा लगाए पौधों को ही काट कर ले जाते थे। जब हमने तय किया कि भू–सुधार और जल संरक्षण के काम किए जाएंगे तो हमने दस लाख पेड़ लगाने का निश्चय किया और उसमें हम 99 प्रतिशत सफल हुए। अब इस जंगल में

जाने के लिए वन विभाग को भी ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती है। पोपटराव कहते हैं कि शुरू में कई निर्णयों पर बहुत विरोध हुआ। जवाब में हमने कहा कि गांव के हित में यह निर्णय ठीक होगा, इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। जैसे खेती के लिए ट्यूबवैल उपयोग नहीं किए जाएंगे और ज्यादा पानी वाली फसलें नहीं लगाई जाएंगी। गन्ना केवल आधे एकड़ में ही लगाया जाएगा, जिसका हरे चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये सब निर्णय कठोर थे, कठिन थे, कड़वे थे। पर सबको बिठाकर आगे तक देखना सीखा, सिखाया तो ये सब बातें लागू भी हो गईं।

पोपटराव ने बतायाः हम सबने मिलकर पानी का काम करना शुरू किया। कुछ सरकारी राशि और कुछ श्रमदान। तीन–चार वर्षों बाद इस काम ने अपना असर दिखाना शुरू किया। भूजल स्तर बढ़ा और मिट्टी में नमी बढ़ने लगी। लोगों ने दूसरी और तीसरी फसल की ओर रुख किया। अब यहां सब्जी भी उगाई जाती है। जिनके पास जमीन नहीं है, अब उन्हें पहले की तरह गांव से शहर नहीं भागना पड़ता। रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन बंद हुआ। ग्राम की ही ताराबाई मारुति कहती हैं, 'पहले मजदूरी करने हम लोग दूसरे गांव जाते थे। आज हमारे पास 16–17 गायें हैं और हम हर दिन ठीक मात्रा में दूध बेचते हैं। पूरे गांव से लगभग, 5000 लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जाता है। आज गांव की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 800 रुपए से बढ़कर 28,000 हो गई है। यानी पांच व्यक्तियों के परिवार की औसत आय 1.25 लाख रुपए साल है।

पूरे देश में आंगनबाड़ियों का जो हाल है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन लगभग आधे एकड़ में फैली यहां की आंगनबाड़ी की दीवारें बोलती हैं। इस आंगनबाड़ी के आंगन में फिसल पट्टी है, पर्याप्त खेल–खिलौने हैं, हरेक बच्चे के लिए अच्छा, सादा, स्वादिष्ट भोजन, अलग–अलग बर्तन, साफ पानी की व्यवस्था है। बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है। यहां बच्चे कुपोषित नहीं हैं। यह आंगनबाड़ी समय सीमा से भी नहीं बंधी है। गांव वाले जानते हैं कि बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास छह वर्ष की उम्र में ही होता है तो फिर आंगनबाड़ी तो बेहतर होनी ही चाहिए। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता ईराबाई मारुति कहती हैं कि जब इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है तो फिर मैं क्यो कतराऊं! मैं कुछ गड़बड़ करती हूं तो मुझे ग्राम सभा में जवाब देना होता है। वे बड़े गर्व से कहती हैं कि मेरी आंगनबाड़ी को केंद्र सरकार से सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी का पुरस्कार मिला है। पोपटराव बताते हैं कि हमारे गांव में पहले से ही दो आंगनबाड़ियां थीं और फिर तीसरी आंगनबाड़ी बनाने का पत्र आया। हम सभी लोगों ने विचार किया कि हमारे यहां बच्चों की संख्या उतनी तो है नहीं कि तीसरी आंगनबाड़ी होनी चाहिए। हमने शासन को पत्र लिखकर तीसरी आंगनबाड़ी के प्रस्ताव को लौटा दिया।

गांव की पाठशाला में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले बच्चों को पांचवीं के बाद से ही गांव के बाहर जाना पड़ता था। अधिकांश बालिकाएं पढ़ना छोड़ देती थीं। अब स्कूल हायर सेकेंड्री तक हो गया है। स्कूल का समय शासन के अनुसार नहीं चलता है। उसे ग्राम सभा तय करती है। स्कूल में दोपहर का भोजन भिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार के रूप में दिया जाता है। शिक्षिका शोभा थांगे कहती हैं कि हम लोग तो गरमियों की छुट्टी में भी स्कूल आते हैं। आज इस गांव में पढ़ाई शहर के किसी बड़े स्कूल से भी बेहतर होती है। यही कारण है कि आज हिवरे बाजार के इस गांव में आसपास के गांवों और शहरों तक से बच्चे पढ़ने आने लगे हैं। पोपटराव कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षकों के लिए ग्राम सभा में तो आना जरूरी है, लेकिन चुनाव ड्यूटी में जाने की आवश्यकता नहीं है।

गांव में स्थानीय स्तर पर मिलने वाली समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम आसानी से मिल जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेविका लता एकनाथ कहती हैं कि गांव में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुझसे गड़बड़ी होती है तो ग्राम सभा में जवाब देना होता है।

अब जरा बात करें देश में सबसे भ्रष्ट राशन व्यवस्था की। 'राशन व्यवस्था में यहां सबसे पहले तो प्रत्येक कार्डधारी को राशन बांटा जाता है, लेकिन उसके बाद राशन बचने पर ग्राम सभा तय करती है कि इस राशन का क्या होगा ? ग्राम सभा कहती है कि इसे अमुक परिवार को दे दीजिए, तो मुझे देना होता है। मैं मना नहीं कर सकता हूं।' राशन दुकान संचालक आबेदास थांगे समझाते हैं, 'मुझे फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत नहीं देनी होती है।

मेरी तौल में कुछ दिक्कत हो या कुछ और तो मुझसे ग्राम सभा में जवाब तलब किया जाता है। और जब मुझे रिश्वत नहीं देनी है तो फिर मैं फर्जीवाड़ा क्यों करूं ?'

पोपटराव कहते हैं कि 1995 में हमने भूमि बंदोबस्त की बात की तो कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन सब कुछ था तो गांव के हित में ही। किसान नामदेव जयवंता थांगे कहते हैं कि मैंने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में गांव हित में जमीन दी। आज चारों ओर हरियाली है। पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है। राव कहते हैं कि अब बाहरी लोगों की नजर हमारी जमीन पर है। हमने नियम बना दिया है कि हमारी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी। इससे गरीब हमेशा गरीब रहेगा तथा अमीर और अमीर हो जाएगा। नजर तो सेज वगैरह के लिए भी लगी थी।

ये सारे महत्त्वपूर्ण निर्णय जहां पर बैठकर लिए जाते हैं, उस जगह का नाम है ग्राम संसद। इसकी बनावट भी दिल्ली के संसद भवन की ही तरह है। पोपटराव कहते हैं कि पहले तो गांव में दो ग्राम सभायें होती थीं, लेकिन हमने बाद में अपनी जरूरत के मुताबिक ग्राम सभायें करनी शुरू कीं। हम महीने में चार ग्राम सभायें करते हैं। वास्तव में हमारी यह ग्राम सभा निर्णय सभा है। हम ग्राम सभा में कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति आए और बात करे। महिलायें विशेष रूप से आयें और अपनी बात रखें। यह तभी होगा जब उनकी बात को सुना जाये। यदि नहीं सुना जाएगा तो फिर वे ग्राम सभा में आयेंगी ही क्यों ? फिर कहां रह जायेगी ये ग्राम सत्ता ?

यही नहीं, ग्राम सभा ने कुछ और फैसले लिए जिनके बगैर हिवरे बाजार की बात अधूरी होगी। यहां बस एक ही मुस्लिम परिवार है रहमान सैयद का। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने इस परिवार के लिए श्रमदान से मस्जिद बनाने का फैसला लिया। ग्राम सभा ने यह भी सोचा कि सरपंच तो इतनी जगह घूमते हैं और उनके लिए वाहन की बहुत जरूरत है, तो फिर क्या ! दस दिनों में पांच लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। वाहन आया और अब यह वाहन गांव का वाहन है। पोपटराव जहां भी जाते हैं, वहां वे बच्चों, महिलाओं और किसानों को ले जाते हैं। इससे उनका एक्सपोज़र होता है और हमारे गांव की सामूहिक दृष्टि मजबूत होती है। यही कारण है कि 1989 के बाद से यहां चुनाव नहीं हुए। चुनाव की तारीख आती है और निर्विरोध सत्ता सौंप दी जाती है पोपटराव पवार के हाथों में।

पारदर्शिता यहां मुंह नहीं चिढ़ाती है। यहां पंचायत भवन में प्रतिमाह पैसों का पूरा रिकॉर्ड लिख कर टांग दिया जाता है। पंचायत सचिव ज्ञानेश्वर लक्ष्मण कहते हैं कि साल के अंत में ग्राम सभा का पूरा रिकॉर्ड गांव वालों के सामने और बाहरी लोगों को बुलाकर बताया जाता है।

हिवरे बाजार को इस साल देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी हिवरे बाजार को अनेक पुरस्कार दिए हैं। रोजाना बाहरी लोग गांव को देखने और स्वराज को समझने यहां आते हैं। एक समय था जब गांव में हर आठवें दिन पुलिस आ जाती थी। उस समय यह ऐसा गांव था कि नवयुवक आस–पास में यह बताने से कतराते थे कि हम हिवरे बाजार के निवासी हैं। आज लोग अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़कर बताते हैं।

इंडिया वाटर पोर्टल की सामग्री पर आधारित

शांत किंतु सफल शुरुआत

ललित माथुर

आंध्र प्रदेश सरकार ने शांत तथा विनम्र तरीके से एक विशिष्ट सफलता हासिल कर दो वर्षों से भी कम समय में एक शांतिपूर्ण क्रांति के बीज बो दिए। यह सफलता है : सूचना के अधिकार नियम का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। सरकार अंकेक्षण ही नहीं करवाती, बल्कि उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है – वह भी व्यापक रूप से तथा विवरण पर नजर रखते हुए। सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का एक चरण समाप्त हो चुका है तथा दूसरा शुरू होने वाला है। इसका काफी अच्छा असर हो रहा है, क्योंकि सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है : इसने अपनी पारदर्शिता की वजह से खासी लोकप्रियता भी हासिल कर ली है और यह किसी

भी तरीके से दिखावे का मामला नहीं लगता।

करीम नगर जिले में थिम्मापुर मंडल के कोल्लामपाली गांव में, मंडल(आंध्र प्रदेश में ब्लॉक की जगह मंडल ने ले ली है) मुख्यालय पर जन बैठक के एक दिन पहले सामाजिक अंकेक्षण अपने अंतिम चरणों में था। इसका मतलब है कि मंडल परिषद विकास अधिकारी से रिकॉर्ड लेकर जांच की गई थी। घर–घर जाकर सत्यापन किया जा चुका था; फील्ड तथा तकनीकी सहायकों और मेटों से विषमताओं पर चर्चा हो चुकी थी। कई मामलों में फील्ड सहायक तथा मेटों ने पैसों में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए बयान पर हस्ताक्षर किए तथा उसकी पूर्ति का वायदा किया।

सत्यापन की प्रक्रिया

यह गांव में पहला सामाजिक अंकेक्षण था। इसमें वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 की अवधि के दौरान हुए विकास कार्यों का सत्यापन किया जाना था। कोल्लामपाल्ली एक बड़ा गांव है और इसने विभिन्न कार्यों में, जैसे सिंचाई टैकों में डीसिल्टिंग, टंकियों के निर्माण, भूमि उत्खनन, पौधारोपण, भूमि विकास तथा अनुसूचित जातियों और गरीब किसानों के लिए सिंचाई के लिए कुएं खोदने में करीब एक करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सामाजिक अंकेक्षण के लिए छह ग्रामीणों को, जो आस–पड़ौस के गांवों के कृषि मजदूर परिवारों से थे, प्रशिक्षण दिया गया। सभी युवा थे। महाविद्यालय में पढ़ने वाले चार छात्राएं और दो छात्र। इनका चयन और प्रशिक्षण डीआरपी ने किया था।

एक वार्ड सभा की बैठक में करीब 100 लोग थे। इसमें बहुमत नरेगा के अंतर्गत काम कर रही महिलाओं का था। दर्शकों ने सक्रियता से भाग लिया। जब भी गलत नामों तथा राशियों वाला रिकार्ड आता तो दर्शक उत्तेजित हो उठते। मंडल बैठक में करीमनगर के जिला परिषद अध्यक्ष तथा अन्य जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। करीब 20,000 रुपए फील्ड सहायकों तथा मेटों द्वारा लौटाया गया। जनता के बीच गबन की गई अन्य राशियों को लौटाने के वायदे किए गए तथा समय सीमा नियत की गई। जब सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की चर्चा हो रही थी, जिला परिषद अध्यक्ष ने न केवल पैसे लौटाने की बात की, बल्कि यह भी कहा कि सरपंच के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मल्लापल्ली मंडल बैठक में 20 ग्राम पंचायतों से करीब 1,500 लोगों ने भाग लिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट बारी–बारी से पढ़ी गई। इनमें न केवल असंगतियां तथा अनियमितताएं थीं, बल्कि अच्छे कार्य भी थे। चर्चा मुक्त, दबावरहित, पारदर्शी तथा सजीव थी।

एक गांव में बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आधी मजदूरी दी गई है। फील्ड सहायक इस बात से सहमत था, परंतु उसका कहना था कि केवल आधा काम किया गया था। चूंकि मजदूरी का आकलन किए गए काम के आधार पर होता है इसीलिए भुगतान सही था। दूसरी ओर, महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने पूरे दिन काम किया है इसीलिए उन्हें भुगतान भी पूरा होना चाहिए। अतः परियोजना अधिकारी ने मंडल परिषद विकास अधिकारी को तीन दिन के अंदर इंजीनियर के साथ गांव का दौरा कर मस्टर रोलों की जांच तथा नामों के सत्यापन का निर्देश दिया। इसका अगली बैठक में पुनरावलोकन किया जाएगा। गांव वाले इस आश्वासन से संतुष्ट थे।

कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि उन्हें किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया है। जब परियोजना निदेशक ने पासबुक में दर्ज भुगतान की तुलना जॉब कार्ड में दर्ज भुगतान से करनी चाही, तो जॉब कार्ड के अंदर के पन्ने, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का हिसाब दर्ज होता है, गायब पाए। जॉब कार्ड अधूरा भी था। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि किसी भी मंडल में ऐसा नहीं हुआ था। मंडल परिषद विकास अधिकारी को पूर्ण जॉब कार्ड जारी करने, कमियों की जांच, जिम्मेदारियों को तय करने तथा रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।

मल्लापल्ली मंडल के ग्राम सामाजिक अंकेक्षक – उनमें से आधी महिलाएं थी तथा सभी युवा थे – ज्यादातर अनुसूचित जातियों तथा मजदूर परिवारों से थे। स्पष्ट है कि यह उत्साहित समूह न सिर्फ सरकार, बल्कि समुदाय के लिए एक मूल्यवान स्रोत बन सकता है।

थिम्मापुर मंडल का चयन स्मार्ट कार्ड के जरिए भुगतान के लिए पायलट परियोजना के रूप में किया गया है। सबसे ज्यादा

प्रोत्साहित करने वाला पक्ष यह है कि यह सब वास्तव में होने लगा है।

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि राजनीतिज्ञों ने इसमें समर्थन दिया है। खुद उन्हें इस प्रक्रिया में एक विश्वसनीय जन फोरम में उपस्थित होने का मौका मिला है। दूसरे चरण में कम भ्रष्टाचार, उच्च दर्जे का काम तथा प्रभावी निरीक्षण देखने को मिला। सामाजिक अंकेक्षण समूह को अन्य कार्यक्रमों में परामर्शदाता के रूप में बुलाया गया। यह सब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों के बिना संभव नहीं था, जो बगैर सरकारी निर्देशों के नहीं मिल सकती थीं। अब अन्य राज्यों को सामाजिक अंकेक्षण की यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

द हिंदु, 1 मार्च, 2009 से साभार

एक अक्षय ई–केंद्र के लिए कुछ आंसू

रीमा नरेंद्रन

तिरुवनंतपुरम के प्रथम अक्षय ई–केंद्र के ठेकेदार सोमसुन्दरम इन दिनों भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पत्नी, बीमार ससुर, उनकी सास तथा तीन छोटे बच्चों, जिन्हें मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता है।

अक्षय ई–केंद्र साक्षरता में भाग लेने वाले शहर के प्रथम व्यक्ति सोमसुंदरम ने बताया, मैंने इस पंचायत के सैकड़ों बच्चों को बिना एक पाई लिए कम्प्यूटर सिखाया है। अब जब मेरे खुद के बच्चे बिना भोजन तथा स्कूल फीस नहीं दे सकने के कारण घर पर बैठे हैं, तो मुझे अपनी हार का एहसास होता है। सबसे दुखद यह है कि बैंक लोन नहीं चुका सकने के कारण उन्हें बेदखली का नोटिस मिल चुका है।

सोमसुंदरम राज्य के ई–साक्षरता कार्यक्रम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कोवलम जंकशन में एक अक्षय केंद्र की स्थापना के लिए केनरा बैंक से दो लाख रुपए का लोन लिया। इसके अलावा, वेंगानूर पंचायत में अलग–अलग ठेकेदारों द्वारा तीन और अक्षय केंद्र खोले गए थे। कोवलम की वार्ड सदस्य, शोभना कुमारी ने बताया, सोमसुंदरम ने खुद के लिए आवंटित क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की, जिससे अब वेल्लार, कोवलम, थोसीचिल तथा मुट्टाकोण में 90 प्रतिशत ई–साक्षरता है। वहीं बाकी के तीन केंद्र विफल रहे। जब पूरी पंचायत का मूल्यांकन किया जाता है तो इंफर्मेशन केरल मिशन इस कोशिश को विफल बताता है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जी–जान से मेहनत करने वाले सोमसुंदरम ने अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों को ही नहीं, सामान्य वर्ग के छात्रों को भी बिना फीस लिए पढ़ाया है। जो अक्षय केंद्र नहीं जा सकते थे, उनके लिए पास के घरों में कम्प्यूटर रखवाया। पंचायत के सभी पांच वार्ड आज ई साक्षर हैं तथा इसका श्रेय इस प्रतिबद्ध व्यक्ति को है, वेंगानूर पंचायत अध्यक्ष शीला बरदन ने बताया।

पंचायत के उपकेंद्रों की स्थापना में सोमसुंदरम पर अच्छा खासा कर्ज चढ़ गया। कम्प्यूटर खरीदे जाने थे तथा अध्यापकों को वेतन दिया जाना था। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के मकान को गिरवी रखते हुए एसबीटी तथा एक स्थानीय चिट फंड से और दो लोन लिए। सोमसुंदरम कहते हैं, 'मैं एक अनाथ हूं। मैंने अपनी शादी के समय किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया। मैं कभी भी अपने सास–ससुर के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता था। अब मुझे यह देखकर दुख होता है कि उन्हें अपने बुढ़ापे में मेरी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करूं।'

परिवार की स्थिति इस समय दयनीय है तथा उनका चूल्हा यदा–कदा ही जलता है। मानसिक परेशानियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। सोमसुंदर सरकार से मिलने वाले पैसों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पंचायत तक हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने बताया, 'मैं इस परियोजना को अपनी पंचायत में सफल बनाना चाहता था। मुझे यह सरकार की एक अच्छी पहल लगी। लेकिन अब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता, जो मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल सके।'

शोभना कुमारी ने बताया कि आई टी मिशन ने कार्यक्रम की निगरानी तथा प्रचालन के लिए

बहुत कम प्रयास किए। उनके अनुसार, यह कार्यक्रम काफी प्रभावशाली तरीके से चलाया जा सकता था। द्वितीय चरण में उन्होंने इन केंद्रों को टेलीफोन तथा बिजली के बिलों के ई–भुगतान के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया था। इन भुगतानों से मिलने वाला सेवा–शुल्क इन ठेकेदारों के लिए आमदनी का स्रोत होता। लेकिन सचाई तो यह है कि यह सब लागू नहीं हुआ और अब तो पंचायत की भी इसमें कोई रुचि नहीं रह गई है।

पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि वेंगानूर पंचायत जितना भी पैसा दिया जाना था, दे चुकी है। परंतु अक्षय के जिला कार्यालय का कहना है कि अक्षय के ठेकेदारों के भुगतान में हो रहे विलंब का कारण तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत द्वारा अपने हिस्से का पैसा नहीं जमा करना है। उप जिला संयोजक रामचंद्रन का कहना है, 'ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक पंचायत अपना हिस्सा दे चुकी हैं। अब अगर जिला पंचायत अपने हिस्से का धन सौंप दे तो हम भुगतान कर सकते हैं।'

चूंकि गरीबी रेखा से नीचे जी रहा यह परिवार एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत का सामना कर रहा है। अतः यदि कोई इनकी मदद करना चाहे तो वह सोमसुंदरम से 9349874555 पर संपर्क कर सकता है। निवेदन है कि कॉलर टोन से आश्चर्यचकित न हों, जो हर बार यही करता है, जीविया थोनी थुझंझु थुझंझु..... यानी किसी तरह खेते हैं जीवन की नाव।

इंडियन एक्सप्रेस से साभार

ग्राम पंचायतों के लिए गूगल पुरस्कार

गूगल के लोकोपकारी हिस्से गूगल.आर्ग ने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय प्रशासन में सर्वोत्तम रचनात्मकता को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता के लिए आई प्रविष्टियों का मूल्यांकन सशक्तीकरण तथा नवाचार के आधार पर किया जाएगा। नवाचार निम्नलिखित छह क्षेत्रों में से कम से कम एक में होनी चाहिए – शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, जल आपूर्ति, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संसाधन एकत्र करना। पंचायतों को निम्नलिखित का प्रदर्शन करना होगा : गांव के निर्णय तथा योजना की प्रक्रिया में सभी सामाजिक और आय वर्गों के लोगों का समावेश, गांव वालों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान आदि। 49 जिलों के 27,942 गांवों को सम्मिलित करने वाली इस प्रतियोगिता को गूगल.आर्ग ने 'सूचना तथा शक्ति' पहल के अंतर्गत शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति हर राज्य से पांच विजेताओं को चुनेगी। हर पुरस्कार 5,00,000 रुपए का होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उम्मीदवार www.google-org/ggpp.htpl पर जा सकते हैं अथवा कर्नाटक जिला पंचायत कार्यालय से आवेदन –पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष की प्रतियागिता 12 दिसंबर 2008 से 25 जनवरी 2009 के बीच आई प्रविष्टियों के लिए खुली थी। प्रविष्टियां तेलगु, कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

जलवायु परिवर्तन, महिलाएं और पंचायतें

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने प्लान इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) और वाटर एड के सहयोग से 23–24 अप्रैल 2009 को सोलहवें महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया। समारोह की विषयवस्तु थी : जलवायु परिवर्तन, महिलाएं और पंचायतें। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में किया गया।

23 अप्रैल 2009 को प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र की शुरुआत 'गर हो सके तो अब कोई शमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए' गीत से हुई। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि 23 अप्रैल 1993 से, जब स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण संविधान का हिस्सा बना, महिला सशक्तीकरण को नए मायने मिले हैं। उन्होंने अपने भावपूर्ण भाषण में महिला पंचायत सदस्यों को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़

बताया। मुख्य अतिथि मशहूर पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है, जो प्रदूषण, संसाधनों के क्षरण, भूख तथा गरीबी जैसी समस्याओं से भरी हुई है। विकास के विचार ने मनुष्य को प्रकृति का कसाई बना दिया है। मानवता का अंतिम लक्ष्य प्रकृति से संस्कृति की तरफ जाना है। यह सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाएं धरती मां को बचाने की जिम्मेदारी लें।'

वॉटर एड की नीति तथा सहयोगी निदेशक इंदिरा खुराना ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए उन्हें बधाई दी कि आज 2.4 लाख पंचायतें लगभग 2000 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं तथा इससे हमारे विकास तथा ग्रामीण विकास में वृद्धि हो रही है। प्लान इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) की मुख्य राष्ट्रीय निदेशक भाग्यश्री डेंगले ने कहा, मैं जानती हूं आप में से बहुतों के लिए पुरुषों की उपस्थिति में बोल पाना भी काफी मुश्किल होता है। फिर भी आपने वे कार्य किए हैं जो शहरों में रहने वाली पढ़ी–लिखी महिलाएं भी नहीं कर पाई हैं। आपकी चेतना, चरित्र और शक्ति प्रशंसनीय है।

1998 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने विशिष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कार की स्थापना की थी। तब से यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जा रहा है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका तथा चैक शामिल है। इस वर्ष के पुरस्कार–किरण कुमारी, सरपंच, कचहरी राज राघाई पंचायत, जिला मुजफ्फपुर, बिहार; रुगमिनि सुब्रमण्यन, अध्यक्ष, पूठादि ग्राम पंचायत, जिला वायनाड, केरल और मंजु शर्मा प्रधान, छुटमुलपुर ग्राम पंचायत, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को पंयायतों में उनके योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रदान किए गए।

पूर्ण तथा कार्य समूह सत्र

पूर्ण तथा कार्य समूह सत्रों में प्रतिनिधियों ने हरित ऊर्जा, जल तथा जलवायु परिवर्तन, पेय जल तथा पंचायतें, पंचायतों के जरिए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, कमजोर तबकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा ग्रीन हाउस प्रभाव से बढ़ती परेशानियां आदि विषयों पर विचार–विमर्श किया। सभी सत्रों में महिला प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मशहूर विशेषज्ञों जैसे –मैग्सेसे पुरस्कार विजेता तथा तरुण भारत संघ के महासचिव राजेंद्र सिंह, पर्यावरण विशेषज्ञ शांथा हरिहरन, वाटर एड में सिटिजन्स रिपोर्ट इनीशिएटिव के राष्ट्रीय समन्वयक रिचर्ड महापात्रा, पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गोपाल अय्यर, यूएनडीपी में डीसेंट्रलाइजेशन कम्युनिटी सॉल्यूशन एक्सचेंज के मॉडरेटर जॉय एलामोन, इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो बी.एस. बाविसकर और संयुक्त निदेशक आश नारायण राय, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी, पानी बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पर्यावरणविद् अरुण कुमार और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सह आयुक्त महिपाल की उपस्थिति तथा भागीदारी ने चर्चा का स्तर ऊंचा उठाने में मदद की।

समापन सत्र

समापन सत्र की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की निदेशक वर्षा दास थीं। उन्होंने सभी पंचायत सदस्यों का एकजुट होकर धरती को बचाने का प्रयास करने के लिए आहवान किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने बताया कि इन दो दिनों के सत्रों में भागीदारी का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा। अर्चना कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'यह हमारे साथ क्यों हुआ' तथा ग्लेशियरों के सिकुड़ने, समुद्र के जल स्तर के बढ़ने, सुंदरबन तथा हिमाचल प्रदेश के सेबों पर आधारित फिल्मों को दर्शकों ने विशेष रुचि के साथ देखा।

सभी महिला प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों में पेड़ लगाने की शपथ ली। उन्होंने अपनी पंचायतों के जरिए बेहतर जागरूकता, बेहतर पर्यावरण तथा सभी के लिए बेहतर दुनिया के लिए काम करने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता जाहिर की। जब सभी प्रतिभागियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया तो समूचा सभा स्थल एकता, अभिन्नता, शक्ति तथा दृढ़ निश्चय की भावना से गुंजायमान हो उठा।

पंचायती राज अपडेट से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org फोन : 91-11-47682222, 24653780

उमा प्रचार

वर्ष 12 अंक 46

जुलाई से सितम्बर 2009

जिन्होंने संभाली पढ़ाई लिखाई की कमान
राजकिशोर

अलगी की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन
देबराज भट्टाचार्य

पंचायत समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

किसी भी काम की सफलता जन सहयोग और जन–भागीदारी पर निर्भर करती है। चाहे वह शिक्षा का प्रचार–प्रसार हो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन हो, स्वास्थ्य सेवायें हों या विभिन्न सरकारी योजनायें। देश के विभिन्न हिस्सों की महिला सरपंचों ने जन–सहयोग की इस सचाई को समझकर उसे अपने काम में भी उतारा है और सफलता प्राप्त की है।

देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा का उजाला फैलाने वाली इन महिला सरपंचों के बारे में जानकारी दे रहे हैं– राजकिशोर।

एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया (अलगी) की काउंसिल का अधिवेशन 4 अगस्त 2009 को हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने दिसंबर 2006 में अलगी का गठन किया। पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान और एक दूसरे के संघर्ष को समर्थन देने के लिए यह संगठन बनाया गया।

इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए जन–प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं का आदान–प्रदान किया। प्रस्तुत है इसकी संक्षिप्त जानकारी।

इसके अलावा पंचायत संबंधित अन्य समाचारों की भी आपको जानकारी मिलेगी।

जिन्होंने संभाली पढ़ाई लिखाई की कमान

राजकिशोर

यह बात साफ हो चुकी है कि अकेले सरकारी बूते से अनपढ़ता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जन–सहयोग भी जरूरी है। इस हकीकत और जिम्मेदारी को देश की कुछ महिला सरपंचों ने बखूबी समझा है और वे अपने–अपने गांव या हलके में शिक्षा का उजाला फैलाने में लगी हैं। सरपंची के तमाम काम संभालते हुए उन्होंने किस तरह इस प्रेरक मुहिम को अंजाम दिया, बता रहे हैं राजकिशोर।

महात्मा गांधी का यह कथन मैंने बार–बार पढ़ा है कि असली भारत गांवों में रहता है। सुमित्रानंदन पंत की कविता 'भारत माता ग्रामवासिनी' मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। इसी कविता के दो शब्द उठाकर फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने अमर उपन्यास 'मैला आंचल' की रचना की थी। इस उपन्यास का नायक मलेरिया के कारणों की खोज में पूर्णिया के एक गांव में रिसर्च करने जाता है और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचता है कि मलेरिया के कीटाणु नालियों और पोखरों में नहीं पाए जाते, बल्कि अशिक्षा और अज्ञान में पाए जाते हैं। मैं देखना चाहता था कि मैला आंचल' के इस नायक की खोज अब कितनी सार्थक है। शिक्षा–अशिक्षा,साक्षरता–निरक्षरता के आंकड़ों से कुछ खास पता नहीं चलता। आंखों देखा सत्य सब पर भारी पड़ता है।

पहले दिन हम सिर्फ दो गांव घूम सके। दोनों स्थानों पर विकास और अविकास के सम्मिलित नजारे दिखे। वहीं पता चला कि पड़ौस के गांव सिपारा में अगले दिन सुबह दस बजे ग्राम पंचायत की बैठक होने वाली है। अगला दिन मेरे लिए एक विरल अनुभव था। सिपारा पंचायत में मुखिया और उपमुखिया सहित कुल ग्यारह सदस्य थे – सात पुरुष और चार स्त्रियां। मुखिया पुरुष था और उपमुखिया स्त्री। प्रारंभिक कार्यवाही के बाद बैठक शुरू हुई। अजेंडे का पहला बिंदु यह था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अगले महीने से क्या काम शुरू किया जाए। इस पर पिछली बैठक में बहस हो चुकी थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। मुखिया और चार पुरुष पंच चाहते थे कि गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बनायी जाए। उपमुखिया और दो महिलाएं चाहती थीं कि गांव के प्रायमरी स्कूल में दो कमरे और जोड़े जाएं। स्कूल में एक ही कमरा था और लड़के – लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सो तीस–चालीस बच्चों को गलियारे में पढ़ाया जाता था। इनमें से ज्यादातर दलित जातियों के थे। उपमुखिया भी दलित थी।

इस बीच सड़क बनाने के पक्ष में बोलने वालों ने दो और पंचों को तोड़ कर अपनी तरफ कर लिया था। उनका कहना था कि सड़क बनने से गांव के सभी लोगों का फायदा होगा। उपमुखिया का पक्ष यह था कि गलियारे में बिलकुल पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। बच्चे कमरे में बैठेंगे तो कुछ पढ़–लिख सकेंगे। उपमुखिया ने लगभग गीली आंखों से पूछा : ये अनपढ़ बच्चे जब बड़े होंगे, तो पक्की सड़क पर चल तो पाएंगे, पर वे जाएंगे कहां और करेंगे क्या। अंत में मुखिया ने राय दी कि चूंकि बहुमत सड़क बनाने के पक्ष में है, इसीलिए स्कूल के कमरे अगले साल बनवाए जाएंगे। उपमुखिया ने कहा कि नहीं, सड़क अगले साल बनेगी। साल भर और सड़क नहीं होगी तो कुछ खास बन–बिगड़ नहीं जाएगा। पर कमरा नहीं बना तो बच्चों का पूरा एक साल खराब हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा ? यह सवाल पूछते समय उपमुखिया की आंखों से चिनगारियां निकलने लगी थीं। वह चालीस–पैंतालीस साल की स्त्री थी। दुबली–पतली और कमजोर। पर उसकी ईमानदार

और प्रतिबद्ध आवाज पूरी बैठक पर भारी पड़ रही थी। आखिर में तय हुआ कि फैसला बीडीओ के हाथ में छोड़ दिया जाए। वह जो कहेगा, वही किया जाएगा। इस पर उपमुखिया ने खड़े होकर कहा : हम बीडीओ–फीडीओ को नहीं जानते। वह यहां का राजा नहीं है। हमारे गांव में तो वही होगा जो हम चाहेंगे।'

इस कार्यक्रम के साथ ही मुझे याद आ रही थी रायपुर से लगे गांव की अरुनबाला की। उनसे तीन–चार साल पहले मुलाकात हुई थी दिल्ली में आयोजित एक महिला पंच–सरपंच सम्मेलन में। उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। चाय के प्यालों के लिए हम लाईन में लगे हुए थे। कैन में लगे नल से एक स्त्री अपने लिए चाय भर रही थी। प्याला भर गया, पर वह नल को बंद करना नहीं जानती थी। चाय फर्श पर गिर रही थी। मेरे सामने खड़ी लगभग पैंतालीस साल की एक स्त्री लपक कर आगे गई और उसने नल को बंद कर दिया। इसके बाद वह लाईन में आकर इस तरह खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वह और मैं चाय ले चुके और हॉल के एक कोने में घूंट–घूंट कर पीने लगे, तक तक मैं निश्चय कर चुका था कि इनसे बातचीत करनी चाहिए।

अरुनबाला छत्तीसगढ़ की ताराशिव ग्राम की पंचायत की प्रधान थीं। गंभीर, दृढ़ इच्छाशक्ति से भरपूर और विनयी। उन्होंने बताया, शुरू से ही मेरी तमन्ना थी कि मेरे गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। मैंने अपने निजी प्रयास से कई बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाया था। जब सरपंच बन गई तो मुझे लगा कि अब यह मेरी जिम्मेदारी भी है कि अपने गांव से अशिक्षा का अंधेरा दूर करके दिखलाऊं। 'मेरी शादी चौदह साल की उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए मैं सातवीं से आगे नहीं पढ़ पाई। मैं नहीं चाहती थी कि वह कहानी फिर दोहराई जाए। सरस्वती से ही लक्ष्मी आती है। सो, मैंने एक नारा बनाया– हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसकी तख्तियां बनवा कर गांव के प्रमुख स्थानों में लगवा दीं। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। गरीबी बहुत है। आबादी दो हजार से ऊपर और बच्चों की संख्या करीब चार सौ।'

अरुनबाला अपने गांव ताराशिव का वर्णन इतने ग्राफिक ढंग से कर रही थीं कि वह मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। तब तक तीन–चार महिलाएं वहां आ गई थीं। उनमें से एक ने कहा, 'अरे, इन्हीं को न राष्ट्रपति प्राइज़ मिला था।' अरुनबाला की सलज्ज आंखें झुक गईं। हां, यह 2003 की बात है।... तो हम बता रहे थे कि शुरू में ज्यादातर परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने की बात नहीं जंची। उनका कहना था कि हमारे बच्चे घर–खेत के काम में हमारी मदद करते हैं। स्कूल में पढ़कर क्या वे कलेक्टर हो जाएंगे ? करना तो उन्हें यही सब है जो हम कर रहे हैं। फिर उनका टाइम बरबाद क्यों करें ? तब मैं गांव के एक–एक घर में गई। हर मेंबर से बात की। शिक्षा की कीमत बताई। पहले लुगाईयां राजी हुईं, फिर मर्दों का नंबर आया। धीरे–धीरे हालत संभल गई। अब हमारे यहां एक प्रायमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और दो आंगनबाड़ियां हैं। गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है।

जब अरुनबाला शिक्षा का उजाला फैलाने में अपनी सफलता का जिक्र कर रही थीं, उस वक्त उनके चेहरे पर आत्मसंतोष का जो इंद्रधनुष उग आया था, उसके चमकदार, पर शांत रंग तीन–चार साल के गैप के बाद भी मेरी आंखों के सामने वैसे ही लहरा रहे हैं। उसकी तुलना में हम शहराती लोगों की उपलब्धियां न के बराबर हैं।

अरुनबाला जैसी बहुत–सी पंच–सरपंच महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने–अपने गांव में शिक्षा का उजाला फैलाने में गहन दिलचस्पी ली और निरक्षरता के अंधेरे को फैलने से रोका।

इन्हीं में से एक थीं गुजरात के दाहोद जिले की सरपंच। उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसे यह बात लज्जाजनक लगी। पंचायत की बैठक में उसने एक प्रायमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। इसका तुरंत विरोध हुआ। कहा गया कि पूरे गांव में तीन ही बच्चे हैं, जिनके मां–बाप उन्हें स्कूल भेजना चाहते हैं। क्या सिर्फ इन तीन बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा ? यह पैसे की बरबादी है। युवा सरपंच समझ गई कि समस्या कहां है। उसने घर–घर जाकर मां–बाप को समझाना शुरू कर दिया कि पढ़ाई के बिना आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। कहीं भी उसकी कोई पूंछ नहीं होगी। वह मनीऑर्डर फॉर्म तक नहीं भर पाएगा। बार–बार जोर देने पर उसकी बात का असर हुआ। स्कूल खुला। पर अभी भी गांव के बहुत से बच्चों ने स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। तब सरपंच ने कड़े उपाय आजमाने का फैसला किया। उसकी पहल पर पंचायत ने घोषणा की कि जो मां–बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पर छह सौ रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा और छह महीने जेल की सजा मिलेगी। इस पर शुरू में तो बहुत वाद–विवाद हुआ, पर कुछ दिनों के बाद दाखिलों की लाईन लग गई। सरपंच का संकल्प रंग लाया।

ओडिशा की शिल्पा गोमांग की समस्या अलग थी। उसके गांव में स्कूल तो थे, पर उनका होना न होना न के बराबर था। ज्यादातर टीचर हफ्ते में नदारद रहते थे। शिल्पा खुद पढ़ी–लिखी नहीं थी। बस अपने सौरा–कबाइली समुदाय की भाषा जानती थी। फिर भी वह शिक्षा के महत्त्व को समझती थी। सरपंच के तौर पर उसने शिक्षकों पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे नियमित रूप से पढ़ाने आएं। वे बहुत भुनभुनाए, कुछ ने झगड़ा भी किया। जब शिल्पा ने, गांव का सरपंच होने के नाते, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दी, तो वे एक–एक कर लाईन में आने लगे। स्कूलों में पढ़ाई–लिखाई नियमित रूप से होने लगी, तो दाखिले भी बढ़ते गए। धीरे–धीरे स्थिति काफी सुधर गई।

लुधियाना की एक सरपंच ने तो कमाल कर डाला। उसका नाम है चंद्रदीप कौर। वह काफी पढ़ी–लिखी है। अंग्रेजी में एमए करने से पहले वह बीएससी और बीए कर चुकी थी। उसकी शादी कोहरा गांव में हुई थी। उसके पति गांव में सरपंच थे। जब यह सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, तो चंद्रदीप ने इस पद के लिए चुनाव लड़ा। सरपंच चुने जाने के बाद उसने गांव की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। एक बड़ी समस्या यह थी कि गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान का कोई शिक्षक नहीं था। ऊंची कक्षाओं के छात्र–छात्राएं परेशान थे। अपने बल पर वे थोड़ा–बहुत पढ़ लेती थीं, पर वह इम्तहान पास करने के लिए निहायत अपर्याप्त था। चंद्रदीप कौर ने साइंस टीचर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र दिया, कई रिमाइंडर भेजे, पर साइंस टीचर गूलर का फूल बना रहा। बोर्ड की परीक्षा के दिन नजदीक आ गए थे। विद्यार्थी हताश थे। तब इस युवा सरपंच ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वह विज्ञान की कक्षाएं लेने लगी। इससे छात्र–छात्राओं को बहुत राहत मिली। चंद्रदीप इस स्कूल में तीन साल से साइंस पढ़ा रही है। इस बीच कई बार वह जिला शिक्षा कार्यालय जा चुकी है, सभी अफसरों से मिल चुकी है, पर सरकार द्वारा नियुक्त विज्ञान शिक्षक अभी भी लापता है। फिर भी वह हताश नहीं हुई है और सरपंची के अन्य तमाम काम संभालते हुए विज्ञान की कक्षाएं ले रही है। सच्चे अर्थों में यह एक सामुदायिक नेता का जज्बा है जो उसे इस काम के लिए प्रेरित कर रहा है।

मैंने यहां सिर्फ पांच सरपंचों के नाम लिए हैं जिन्होंने अपने–अपने गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए संघर्ष

किया। देश के छह लाख गांवों में असंख्य निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं जो अशिक्षा के अंधेरे से लड़ रहे हैं। इनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी। पर स्त्रियों में शिक्षा फैलाने का जज्बा ज्यादा है। इनमें से अनेक ऐसी हैं जिन्हें खुद औपचारिक शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। जब उन्हें पंचायत संबंधी हर काम के लिए पंचायत सचिव का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें शिक्षा का महत्त्व समझ में आया। वे नहीं चाहतीं कि अगली पीढ़ी को भी वह भोगना पड़े जो उन्हें भोगना पड़ रहा है। एक और बात थी। इन महिला सरपंचों ने देखा कि जमाना तेजी से बदल रहा है। नए समय में पढ़े–लिखे बिना गुजारा नहीं है। इसीलिए उन्होंने गांव में स्कूल खोलने, और जहां स्कूल थे उनकी हालत सुधारने के लिए अथक मेहनत की। हमें इन सब महिलाओं को सलाम करना चाहिए जो अपने–अपने क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई हैं।

जनसत्ता से साभार

अलगी की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन

देबराज भट्टाचार्य

एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया(अलगी) की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन 4 अगस्त 2009 को नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 20 राज्यों के लगभग 50 पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा पंचायती राज मामलों के विशेषज्ञ और कई विद्वान भी इसमें मौजूद थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पहला ऐसा केंद्रीय अधिनियम है, जिसमें योजनाएं बनाने, उन्हें पास करने और उनके कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। इसीलिए पंचायतें अब राज्य सरकार की मोहताज नहीं रह गई हैं। वे दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ग्रामीण विकास को नया आयाम दे सकती हैं। यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के परिसर में हुआ।

डॉ. जोशी ने कहा कि नरेगा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्पष्ट रूप से कानूनी अधिकार दिए गए हैं। जरूरत इस बात की है कि ये संस्थाएं इन कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाएं और गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराएं। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, अतः उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बारे में किसी भी समस्या का हल संवैधानिक या कानूनी दायरे में ही संभव है।

सम्मेलन में ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सरपंचों, पंचों एवं सामाजिक संगठन के सदस्यों को अपने सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देने का सुनहरा मौका मिला। बिहार की महिला प्रतिनिधि ने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के जरिए उनकी क्षमता निर्माण पर बल दिया। गुजरात के सदस्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला प्रतिनिधियों को अक्सर पंचायत के भीतर एक छोटे गुट द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटा दिया जाता है। इसके बजाए ग्राम सभा के फैसले के आधार पर ही हटाने का प्रावधान किया जाए। हरियाणा के प्रतिनिधि ने कहा कि खाप पंचायतें 'पंचायत' शब्द को बदनाम कर रही हैं। उन्हें इस नाम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाए।

उत्तराखंड के प्रतिनिधि ने कहा कि उसके राज्य का अलग से पंचायत अधिनियम नहीं है, इसीलिए ऐसा कानून बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने बुंदेलखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की अपील की। कर्नाटक के प्रतिनिधि ने कहा कि उसके राज्य में पंचायतों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, जिससे गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु की महिला प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को आवास के लिए जो राशि मंजूर की जाती है, उसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाए। राजस्थान की महिला प्रतिनिधि ने योजनाओं पर बेहतर अमल के लिए वार्ड स्तर पर कड़ी निगरानी का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने कहा कि पंचायतों को कंप्यूटर के सभी जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जाना चाहिए। गोवा की महिला प्रतिनिधि ने महिला आरक्षण बिल पर अलगी से पहल की अपील की। सभी प्रतिनिधियों ने झारखंड और जम्मू–कश्मीर में पंचायत चुनाव न कराने पर भारी चिंता प्रकट की। जो प्रतिनिधि अलगी की बैठक में पहली बार आए, वे निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान कर इसके सदस्य बने। इस प्रकार अलगी की ताकत बढ़ती जा रही है।

पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान और एक–दूसरे के संघर्ष को समर्थन देने के लिए किसी मजबूत मंच या संगठन का होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने पहल कर दिसंबर, 2006 में अलगी का गठन किया। तब से यह भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया एवं स्थानीय सरकारों के हितों की पैरवी तथा इनके हितों को बढ़ावा देने वाले दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है। यह उन एसोसिएशनों और व्यक्तियों के साथ नेटवर्क कायम कर रहा है, जो स्थानीय सरकार की संस्थाओं को अधिक अधिकार देने और कार्यों के हस्तांतरण से जुड़े हैं। अन्य देशों में अलगी जैसे संगठन पहले से बने हुए हैं और उन्होंने स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों की एकजुटता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य पाने में शानदार कामयाबी पाई है। भारत में अलगी राष्ट्रीय स्तर पर इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब तक वह विभिन्न मामलों पर कई क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित कर चुका है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

त्रिपुरा पंचायत चुनाव : महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

त्रिपुरा में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले की तुलना में इस बार महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। चुनाव विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 20 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 11831 उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 4046 है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 10942 उम्मीदवार हैं, जिनमें तीस प्रतिशत, 3739 महिला उम्मीदवार हैं। पंचायत समिति के चुनाव में 682 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 253 है। जिला परिषद् के चुनाव में 207 उम्मीदवारों में 54 महिलाएं हैं।

सभी राजनैतिक पार्टियों ने पंचायत चुनाव में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी का स्वागत किया है। इन पार्टियों का कहना है कि इस तरह महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो पाएंगी।

पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत महिला आरक्षण

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का मामला अभी भले ही अधर में लटका हुआ हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पिछली 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

बैठक का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243(डी) को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाने का फैसला किया गया है। इसके बाद पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए मौजूदा एक तिहाई सीटों का आरक्षण बढ़कर कम से कम 50 प्रतिशत हो जाएगा। सोनी ने कहा – "यह आरक्षण सीधे भरी जाने वाली कुछ सीटों, पंचायत अध्यक्षों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर लागू होगा।" उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने से राजनीति में अधिकाधिक महिलाओं के आने का मार्ग खुलेगा। महिलाओं के सशक्तीकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम एवं कार्यशाली बनेंगी। उनका प्रशासन सुधरेगा और सार्वजनिक सेवा की व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

सोनी ने आगे बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंचायतों में इस समय निर्वाचित हुए 28.1 लाख प्रतिनिधियों में से 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से अधिक हो जाएगी। इस संविधान संशोधन के दायरे में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी बहुल क्षेत्र, त्रिपुरा और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर बाकी सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र आएंगे। अभी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है।

केंद्र सरकार के ताजे फैसले का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत और समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिक मौका मिलेगा और उनमें अधिक आत्मविश्वास जागेगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 16 साल पहले जब पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था तो उसके बाद अनेक पंचायतों की महिला सरपंच प्रतिनिधियों ने गांवों के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देकर सफलता का नया इतिहास रचा। उन्होंने विशेषकर स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, नशाबंदी आदि क्षेत्रों में सराहनीय काम किए हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

ग्राम कचहरी प्रशिक्षण शिविर

पटना, राज्य सरकार की ओर से गठित 'ग्राम कचहरी' के संचालन के लिए सरपंचों, उप–सरपंचों, न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों और पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांवों में ही लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाना सरकार का लक्ष्य है।

प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायती स्तर पर लोगों को न्याय मिलने की व्यवस्था पहले भी थी। लेकिन 1997 के बाद वह व्यवस्था समाप्त हो गई। उसे उनकी सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। नीतीश ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन

साल पहले उनको 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

उन्होंने कहा कि उसी प्रकार राज्य सरकार ने 'ग्राम कचहरी' के गठन का निर्णय लिया है। इसकी सफलता दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय साबित हो सकती है। नीतीश कुमार ने कहा कि ग्राम कचहरी के गठन का फैसला उन्होंने प्रदेश में सत्ता में आने के बाद लिया था। उनका प्रयास था कि इसमें काम करने वालों को प्रशिक्षण न्यायपालिका की ओर से दिया जाए जो विशेषज्ञों की कमी के कारण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम कचहरी के संचालन के लिए सरपंचों, उप–सरपंचों, न्यायमित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विधि अधिकारियों और कानूनविदों के सहयोग से प्रशिक्षण दिलाने का फैसला लिया।

4 जुलाई से पटना में शुरु हुए इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद पांच जुलाई से राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

जनसत्ता से साभार

उत्तर प्रदेश : लघु सचिवालय और कार्यालय

उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लघु सचिवालय और ग्राम प्रधानों के अपने ऑफिस जल्दी ही स्थापित किए जाएंगे। एक योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में कुल 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। इस साल लगभग 3,000 पंचायतों को कवर किया गया है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 323 करोड़ रुपए का कोष अलग से रखा गया।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवालय में एक बैठक हॉल, ग्राम प्रधान कार्यालय, पंचायत सचिव के लिए घर और कार्यालय होगा। पंचायत सचिव का काम समय–समय पर बैठक आयोजन के अलावा सचिवालय की देखभाल और कामों में तालमेल बैठाना होगा। इस उद्देश्य के लिए कोष की कमी नहीं होगी, क्योंकि 2006–07 से शुरू हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार इसके लिए शत–प्रतिशत धनराशि देगी। योजना में 600 करोड़ रुपए का कोष है, जिसके अंतर्गत 34 पिछड़े जिलों की पंचायतों का चयन किया गया। लेकिन, योजना पर अमल के लिए कोई काम नहीं हुआ। पंचायती राज के मुख्य सचिव आर. के. शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश योजना को केंद्र सरकार ने तकनीकी आधार पर नामंजूर कर दिया, जिससे 2007–08 में भी कोई कार्य नहीं हो पाया।

इस योजना में शुरुआती अड़चनें आईं, पर अब योजना की निगरानी, अमल और महत्तवपूर्ण फैसले लेने से काम पूरे जोर के साथ शुरू हो गया है। राज्य के एक प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचित जिला नियोजन समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए केंद्र ने 602. 43 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। राज्य सरकार ने भी दिसंबर, 2008 तक 541.73 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लघु सचिवालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकतम 303 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए 85.93 करोड़ रुपए जिला पंचायतों को जारी किए गए हैं

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-47682222

उमा प्रचार

यह अंक

वर्ष 12 अंक 47

अक्टबूर से दिसम्बर

पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके अंतर्गत 2009–10 को 'ग्राम सभा वर्ष', सरकारी योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाने और 'नरेगा' का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखने का निर्णय लिया गया। सरकार की इन घोषणाओं की सार्थकता तभी है, जब इन्हें व्यवहार में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से लागू किया जाए। तभी 'आपके दरवाजे पर लोकतंत्र' की गांधी की परिकल्पना को सही मायने में साकार किया जा सकता है। इस अंक में प्रस्तुत है इस सम्मेलन की संक्षिप्त जानकारी।

पंचायती राज सुदृढ़ता : तीन प्रमुख कदम

राजस्थान महिला पंच–सरपंच संगठन ने विरोध जताया

ममता जैतली

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। राजनीति में अधिक से अधिक महिलायें आ सकें, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम और कार्यशाली बनेंगी। एक तरफ महिला सशक्तीकरण के नाम पर महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर महिला जन–प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होने की अनिवार्यता की जाने की संभावना है। यहां पर 'सांप भी मर जाये, और लाठी भी नहीं टूटे' कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है।

ग्राम न्यायालय : आशा की नई किरण

प्रेम कृष्ण शर्मा

ग्रामीण समाज को सरल, सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय की कल्पना की गई थी। ग्राम न्यायालय कानून 2008 इसी परिकल्पना का साकार रूप है। केंद्रीय सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू कर दिया है। ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी दे रहे हैं – प्रेम कृष्ण शर्मा।

केवल निजि वितरण के लिए

पंचायती राज की सुदृढ़ता : तीन प्रमुख कदम

पंचायती राज के पचास वर्ष पूरे होने के सिलसिले में 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूरे देश से ऐसे सरपंच और ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया, जो 20–25 साल से लगातार चुने जाते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सी पी जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने पंचायती राज की मजबूती की दिशा में तीन महत्त्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सन् 2009–10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा और सरकारी योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी।

श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेगा में पंचायती राज संस्थाओं ने बेहतर काम किया है और उनका इस्तेमाल दूसरी सरकारी योजनाओं में भी किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इससे सहमत दिखीं और उन्होंने तो यहां तक कहा कि नरेगा के हिसाब–किताब का काम पंचायती राज संस्थाओं को ही देखना चाहिए।

पंचायतों को मजबूत बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को 'आईटी' और 'एकाउंट्स' की शिक्षा देनी होगी और उन्हें सिखाना होगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने स्वीकार किया कि पंचायतों के पास भवन, स्टाफ जैसी सुविधायें नहीं हैं, इससे उन्हें काम करने में मुश्किल आती है। श्री मनमोहन सिंह जी ने राज्यों से कहा कि वे पंचायतों के समानांतर संस्थायें बनाने से बचें। उन्होंने कहा कि किसी योजना विशेष को तेजी से लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के नाम पर जो नई संस्थायें बनाई जाती हैं, उनका शुरू में तो फायदा दिख सकता है, लेकिन अंततः इससे शासन को विकेंद्रित करने और पंचायतों को मजबूत बनाने की कोशिशों को धक्का अधिक पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि शासन को विकेंद्रित करने का काम पंचायती राज के बिना संभव नहीं है। गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास में ग्राम सभाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सी पी जोशी ने कहा कि सरकार गांवों को आईटी से इसीलिए जोड़ना चाहती है ताकि गांव के बच्चे आगे बढ़ें।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं अन्य कई राज्यों की सरकारों ने 2009–10 को 'ग्राम सभा वर्ष' मनाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन, ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना और ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा–जोखा जैसे मसलों पर चर्चा की जाए।

ग्राम सभा लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने का एक मंच है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को 'ग्राम गणतंत्र' की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि 'केंद्र में बैठे बीस लोगों के बूते असल में प्रजातंत्र नहीं आएगा, बल्कि हर गांव के लोगों की भागीदारी से ही यह संभव है।' इसीलिए, यदि ग्राम सभा सशक्त होती है तो गांधी जी के ग्राम गणतंत्र का सपना साकार होगा।

सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रयास करती रही है, लेकिन उसकी विभिन्न घोषणाओं की सार्थकता तभी है, जब इन्हें व्यावहारिक धरातल पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। पिछले सालों में समय–समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती के लिए अनेक प्रयास किए और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनमें नई जान डालने का प्रयास किया गया। कुछ समय पहले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ये कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मूल मुद्दा जमीनी धरातल पर इन फैसलों को व्यावहारिक ढंग से लागू करने का है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुलभ कराना जरूरी है। तभी हम 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' यानि 'आपके दरवाजे पर लोकतंत्र' की गांधी की परिकल्पना को सही मायने में साकार कर सकते हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

राजस्थान महिला पंच–सरपंच संगठन ने जताया विरोध

ममता जैतली

महिला पंच–सरपंच संगठन, राजस्थान की सदस्याओं ने ज्ञापन देकर महिला पंच–सरपंचों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने का विरोध किया है। राजनैतिक हलकों में इन दिनों इस विषय पर जोर–शोर से चर्चा हो रही है और इस पर आम सहमति भी बन चुकी है। महिला जन प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होने की अनिवार्यता की जाने की संभावना है।

सरकार ने यदि ऐसा कोई निर्णय लिया तो यह बेहद खतरनाक और महिला विरोधी कदम होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देकर महिलाओं के जिस सशक्तीकरण का सपना ग्रामीण वंचित वर्ग की महिलाओं को दिखाया था यह निर्णय अधिकांश महिलाओं से उनके चुनाव लड़ने के संवैधानिक हक ही छीन लेने वाला साबित होगा। इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जन–प्रतिनिधि साक्षर हों। वे पढ़–लिख पाएंगे तो अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने से पहले साक्षरता की स्थितियों पर गौर करना अत्यंत जरूरी है। दुखद यह है कि आजादी के बाद से सरकारों द्वारा संपूर्ण साक्षरता के लिए चलाए गए तमाम अभियानों के बावजूद 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर मात्र 54.28 प्रतिशत ही हो पाई है। राजस्थान में तो यह 44.34 प्रतिशत ही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 37.74 प्रतिशत है। दूरस्थ क्षेत्र में तो अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग में साक्षरता की स्थिति और शोचनीय है। उदाहरण के लिए उदयपुर जिले की आदिवासी बहुल कोटड़ा तहसील में महिला साक्षरता की दर 11.14 प्रतिशत ही है। शेष 89 प्रतिशत औरतें वर्ष 2001 में निरक्षर ही थीं। आठवीं कक्षा पास को चुनाव लड़ने के योग्य घोषित किए जाने पर इस क्षेत्र में शायद एक प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव लड़ने के योग्य मिल पाएंगी। ऐसे में क्या 99 प्रतिशत महिलाओं से चुनाव लड़ने का

उनका संवैधानिक हक छीन लिया जाएगा ? कई पंचायतों में तो आरक्षण कोटे के अनुसार शायद कोई भी योग्य महिला प्रत्याशी न हो।

एक तरफ तो महिला सशक्तीकरण के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं के पचास प्रतिशत पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ प्रकारांतर से आम महिला को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जाना कितना उचित है ? यह तो शिक्षा के सार्वजनिककरण में सरकारों की असफलता महिलाओं पर थोप दी गई। सरकार द्वारा यह योग्यता निर्धारित करना तो तब उचित था जब तह संपूर्ण साक्षरता या सबके लिए अनिवार्य शिक्षा का अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी होती।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित यही होगा कि चुनाव से पूर्व सभी महिला या अन्य निरक्षर प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवाया जाए कि चुनाव जीतने के बाद साक्षरता कौशल हासिल करने के सरकारी प्रयासों में पूर्ण रूप से भागीदारी लेंगी। सरकार को इन जन–प्रतिनिधियों को साक्षर बनाने के लिए तब उनकी सुविधा से उनके अनुकूल समय पर साक्षरता शिक्षण के प्रयास पूरी गंभीरता से करने होंगे। सरकार की मंशा यदि ऐसे किसी निर्णय को लागू करने की है तो इससे पहले इस अति महत्त्व के विषय पर आम जनता की राय जानना अत्यंत जरूरी है। जनता के बीच रचनात्मक बहस के बिना ऐसा कोई निर्णय लेना लोकतांत्रिक परंपरा के विपरीत है।

विविधा फीचर्स से साभार

ग्राम न्यायालय : आशा की नई किरण

प्रेम कृष्ण शर्मा

किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि इसमें सभी लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया सुलभ हो। भारत में आज भी जहां सत्तर प्रतिशत से अधिक लोग गांव में बसते हैं, उनके लिए अभी तक न्याय के रास्ते बहुत खर्चीले और कठिन रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्राम न्यायालयों की परिकल्पना की गई थी। ग्राम न्यायालय कानून, 2008 इसी की परिणति है। ग्राम न्यायालय, यानि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को आसान और जल्दी न्याय दिलाने का माध्यम। इसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक या मानसिक विकलांगता के कारण न्याय देने से वंचित नहीं रखा जाएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी कर 2 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया है। राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता तथा उसकी शक्तियों का निर्धारण करते हुए अधिसूचना जारी कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक माध्यमिक पंचायत स्तर पर या जिस राज्य में माध्यमिक पंचायत न हो वहां पर ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर कर सकेगी।

ग्राम न्यायालय का मुख्य कार्यालय उस क्षेत्र की उसी स्तर की पंचायत के मुख्य कार्यालय की जगह पर ही स्थापित होगा। हर ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता रखने वाला एक न्यायायिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधिकारी चल ग्राम

न्यायालयों का भी संचालन करेंगे, जिनकी पूर्व सूचना व प्रचार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार चल ग्राम न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ग्राम न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों की सुनवाई इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकेगा। ग्राम न्यायालयों द्वारा सुने जा रहे मुकदमों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान लागू होंगे।

सेशन व जिला न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों में चल रहे मुकदमों का स्थानांतरण भी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निश्चित तिथि तक ग्राम न्यायालय में कर सकेंगे। ग्राम न्यायालयों में प्रक्रियात्मक कार्यवाही तथा ग्राम न्यायालय की भाषा उस राज्य की आधिकारिक भाषा ही होगी। फौजदारी मामलों में ग्राम न्यायालयों के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, दंड अथवा आदेश की अपील आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सेशन न्यायालय में की जा सकेगी।

इसी प्रकार दीवानी मामलों में भी ग्राम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश (जो अंतरिम आदेश न हों) के तीस दिन के अंदर जिला न्यायालय में की जा सकेगी। ग्राम न्यायालय को पुलिस तथा राजस्व विभाग का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च न्यायालय किसी भी श्रेणी के न्यायायिक अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम न्यायालयों का हर छह महीने में एक बार निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है। दीवानी मामलों में दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। किसी भी दीवानी मामले को ग्राम न्यायालय में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। कोर्ट फीस किसी भी मामले में सौ रुपए से अधिक नहीं होगी।

फौजदारी मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता केवल उसी सीमा तक लागू होगी जो ग्राम न्यायालय कानून के विपरीत न जाती हो। इन मामलों में भी कार्यवाही संक्षिप्त रूप में की जाएगी। न्यायालयों के समक्ष अभियुक्त द्वारा सौदेबाजी के प्रावधान का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसके अनुसार उसके द्वारा अपराध की स्वीकृति कर लिए जाने पर लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती और कोई हल्का दंड प्रस्तावित किया जा सकता है।

इस प्रकार ऐसा लगता है कि न्याय अब लोगों को उनके द्वार के आसपास उपलब्ध हो सकेगा। कुछ समय के अनुभव के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है। वैसे बहुत सारी बातें नकारात्मक भी हो सकती हैं, जैसे प्रक्रियात्मक अवधारणा इस कानून में भी प्रतिपक्षात्मक ही है। इसमें पक्षकारों को ही अपने पक्ष को प्रस्तुत करना होता है और इसमें अक्सर साधन और भुजबल का पलड़ा भारी हो जाता है। अभी भी जोर इसी बात पर है कि मामलों का निपटारा चाहे न्यायालय द्वारा या समझौते के द्वारा हो, परंतु मूल रूप में वास्तविक न्याय की अवधारणा का अभी कोई स्थान नहीं है, जिसमें न्याय व्यवस्था को खुद सक्रिय होकर न्याय से वंचित व्यक्तियों और वर्गों को समानता तथा अन्य मूल मानवाधिकारों के आधार पर न्याय उपलब्ध करवाया जा रहा है तो उसमें स्थानीय समुदाय की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है ताकि वास्तविकता के आधार पर निर्णय करने में आसानी हो। फिर भी हमें आशा करनी चाहिए कि ग्राम न्यायालयों का यह प्रयोग सफल रहेगा।

विविधा फीचर्स से साभार

दहेजमुक्त नीलांबुर गांव

तिरुवनंतपुरम के उत्तर में 400 किलोमीटर दूर स्थित नीलांबुर देश का ऐसा पहला गांव है, जहां दहेज देने और लेने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसका श्रेय यहां की पंचायत को जाता है, जिसने दहेज–विरोधी आंदोलन चलाकर यह कामयाबी पाई। मलाप्पुरम जिले के नीलांबुर गांव की आबादी लगभग 40000 है, जहां पहले दहेज की कुप्रथा अत्यंत भयावह रूप में थी। पिछले साल पंचायत द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण के दौरान 1,300 लड़कियों ने कहा कि दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रह गई थीं। 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके द्वारा दी गई दहेज की रकम के कारण वे दिवालियापन की कगार पर हैं। गांव में तलाकशुदा 52 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि शादी के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्हें पति का घर छोड़ना पड़ा।

27 वर्षीया फरीदा एस की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। तब वह आठवीं कक्षा में थीं। उनके पिता ने दहेज में 20 तोला सोना और एक लाख रुपए नकद दिए। शादी के पांच साल के भीतर और दहेज की मांग पूरी न होने पर उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि वे दो बच्चों की मां बन चुकी थीं। 33 वर्षीय उम्मू सलमा की शादी के बाद उनके पिता उनके ससुराल पक्ष की दहेज की मांगे पूरी नहीं कर पाए तो पति ने दस साल पहले पांच वर्षीय बेटी के साथ उन्हें छोड़ दिया।

लेकिन, यह दारुण स्थिति अब नहीं रही। अपने तीन बच्चों के साथ अकेली रह रही 36 वर्षीय आयशा टेक्केरपरम्भिल ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी बिना दहेज लिए होगी। पिछली मई में 24 वर्षीय अनुस बाबू ने उनकी 18 वर्षीय बेटी का हाथ मांगा। आखिर, यह सब कैसे हुआ ? दहेज के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली नीलांबुर पंचायत की सरपंच आर्यादन शौकत बताती हैं, 'हमने लोगों से कहा कि वे दहेज न लेने और न देने की कसम खाएं। इसके लिए जोर जबर्दस्ती नहीं की गई, बल्कि लोगों को समझाया बुझाया और पूरे समर्पण के साथ आंदोलन चलाया। प्रत्येक वार्ड में बैठकों, प्रत्येक घर के दौरे, नुक्कड़ नाटकों, प्रेरणा कक्षाओं और दहेज–विरोधी एसोसिएशन बनाने के जरिए जन जागरूकता पैदा की गई। स्कूली छात्रों को भी इस अभियान में शामिल किया गया।'

पंचायत की सहायता करने वाली एचआरडी की महिला समाख्या की स्थानीय इकाई की प्रवक्ता सेलिना टी ने बताया, हमने दहेज को सबसे बड़े पाप के रूप में प्रचारित किया। इस आंदोलन की बदौलत पिछले दो माह से गांव में एक भी शादी में दहेज का लेन–देन नहीं हुआ है।

हिंदुस्तान टाइम्य से साभार

राज्य समाचार

जयपुर :राजस्थान पंचायती राज में युवक

राजस्थान सरकार ने 21 से 35 वर्ष के युवकों के लिए राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा की है। इस संशोधन को राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994 में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया।

स्थानीय प्रशासन में युवकों के लिए आरक्षण का यह निर्णय सरकार ने कुछ समय पहले लिया था, इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती भी दी गई

थी। पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में गलतफहमी के कारण यह निर्णय अटका पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

निश्चित वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित होंगी – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनावों में 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच के लोग होंगे। आरक्षित वर्ग के मामले में निश्चित आयु समूह की तीन सीटों में एक सीट आरक्षित होगी। यदि तीन सीट से अधिक होंगी, तब उनके लिए अधिकतम दो सीट आरक्षित होंगी।

सामान्य वर्ग की सीटों के मामले में हरेक पांच सीटों में एक सीट इस आयु वर्ग के युवकों के लिए आरक्षित होगी। यदि पांच सीटों से कम सीट होंगी, तब सामान्य सीटों पर युवकों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी।

राजस्थान : पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषयों के अधिकार देने की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2009 को देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्वर्ण जयंती के मौके पर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर 16 विषयों के अधिकार देने तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने नागौर में 50 साल पहले आज ही के दिन पं. जवाहरलाल नेहरू की ओर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में ये घोषणायें कीं। इस मौके पर राज्य के नागौर जिला मुख्यालय पर पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के समारोह में पंचायत व्यवस्था की मजबूती का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था और नरेगा जैसी योजनाओं को निष्ठा और संकल्प के साथ सफल बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक देश के हर गांव में बसे लोगों को अपना भविष्य संवारने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक खुशहाल देश का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने पंचायती राज की कमियों पर चिंता जताते हुए कहा कि कई राज्यों में समय पर पंचायत चुनाव नहीं होना दुखद है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए गांवों में बदलाव लाने के उद्देश्य से पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया था। इसमें दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसी का परिणाम है कि देश में आज 12 लाख महिलाएं पंचायतों के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इस अवसर नर देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख सहित प्रदेश के तीन प्रथम जिला प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया।

पं.रा.अ.से साभार

राष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की पंचायत अधिकारियों या प्रशासन पर निर्भरता कम करने के इरादे से ग्रामीण विकास मंत्रालय एटीएम जैसी एक मशीन को टेस्ट कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के भीलवाड़ा की रायला पंचायत में मंत्रालय ने इस मशीन को लॉन्च किया है। इसमें नरेगा सदस्यों और उनकी व्यक्तिगत जानकारियों का सेंट्रलाइज्ड डेटा है।

टच स्क्रीन वाली यह मशीन नरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी और काम की स्थिति के

बारे में जानकारी देगी। इसमें एक विकल्प के सहारे वे काम के लिए अनुरोध दे सकते हैं और बदले में उन्हें रसीद भी मिलेगी। उन्हें इस मशीन से यह जानकारी भी मिलेगी कि आसपास के इलाकों में मजदूरों की कितनी मांग है और किस तरह का काम उपलब्ध है। मशीन में शिकायत दर्ज करने का विकल्प है और मजदूर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मशीन मेन सर्वर से लिंक होगी और इसमें मजदूर की बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर का विकास 'निक' ने किया है, जिससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। अभी इसे एक पंचायत में लॉन्च किया गया है। यदि सफलता मिली तो देश भर में इसकी शुरुआत की जाएगी। मशीन मजदूरों के लिए तैयार की गई है और मजदूरों का बड़ा हिस्सा निरक्षर है। लेकिन टच स्क्रीन उन्हें ऑटोमेटेड वॉयस ऑप्शन के साथ गाइड करेगी।

राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं की भूमिका स्पष्ट करने की सलाह

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं में ग्राम सभाओं और सरपंचों एवं पंचों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने को कहा है ताकि वे ग्रामीण विकास के असरदार मंच बन सकें और जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। केंद्र सरकार ने राज्यों से ग्राम सभा के सचिवों की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और स्थानीय दबावों से उनकी समुचित रक्षा करने को कहा है। सभी राज्य सरकारों को भेजी गई एक सलाह में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में ग्राम सभाओं को पूरी भागीदारी करनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य से यह भी कहा है कि ग्राम सभा की बैठकों में उन विषयों को शामिल कर उनकी चर्चा का दायरा बढ़ाया जाए, जो अधिक रुचिकर एवं सार्थक हैं।

पं.रा.अ.से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-47682222